2024

प्रश्नः कतिपय अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित होने के कारण सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्टों में भारत के विकास को अधिक समावेशी बनाने का सामर्थ्य है। टिप्पणी कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

Public charitable trusts have the potential to make India's development more inclusive as they relate to certain vital public issues. Comment.

उत्तर: सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट (PCT) गैर-लाभकारी संस्थाएँ हैं, जिनकी स्थापना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 के तहत जनहित में कार्य करने तथा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, निर्धनता उन्मूलन, आपदा राहत और पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देने हेतु की गई है। PCT, निम्नलिखित मुद्दों से भारत के विकास को अधिक समावेशी बना सकते हैं:

- **शासन में अंतराल की आपूर्ति:** PCT सामाजिक मुद्दों को संबोधित करके शासकीय प्रयासों को पूरक बनाते हैं, जैसे टाटा ट्रस्ट और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा में कार्य करते हैं।
- **सुभेद्य समुदायों को सशक्त बनाना:** PCT आजीविका में सुधार हेतु सुभेद्य समुदायों के साथ कार्य करते हैं, जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन मातृ स्वास्थ्य और लैंगिक समानता के क्षेत्र में कार्य करता है।
- **पर्यावरण संरक्षण:** बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी जैसे PCT जैवविविधता और वन्यजीव संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- **समर्थन और जागरूकता:** अखिल भारतीय नेताजी सामाजिक कल्याण आंदोलन जैसे PCT लैंगिक समानता और मानव अधिकारों पर नीतिगत बदलावों का समर्थन करते हैं।
- **आपदा राहत:** PCT, आपदा के समय त्वरित राहत प्रदान करते हैं, जैसे अखिल भारतीय डॉक्टर अब्दुल कलाम कल्याण ट्रस्ट त्वरित एवं प्रभावी सहायता उपलब्ध कराने के लिये राहत प्रदान करता है।

निष्कर्ष: सीमित फंडिंग, नौकरशाही संबंधी बाधाएँ और दानदाताओं पर निर्भरता चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रभाव को बाधित कर सकती है। विनियमन और पारदर्शिता को बढ़ाने के साथ-साथ शासकीय सहयोग को बढ़ाने से समावेशी विकास को बढ़ावा देने तथा सुभेद्य समुदायों को सशक्त बनाने में उनकी प्रभावशीलता में वृद्धि हो सकती है।

प्रश्न: निर्धनता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस चक्र को तोड़ने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

(150 शब्द, 10 अंक)

Poverty and malnutrition create a vicious cycle, adversely affecting human capital formation. What steps can be taken to break the cycle?

उत्तर: मानव पूंजी से तात्पर्य व्यक्तियों के कौशल और ज्ञान से है जो उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। निर्धनता और कुपोषण खराब शिक्षा परिणाम, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ तथा सीमित अवसरों का कारण बनकर मानव पूंजी निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो अंतर-पीढ़ीगत निर्धनता और कम होती आर्थिक क्षमता के चक्र में योगदान करते हैं।

विषाक्त चक्र को तोड़ने के लिये कदम

- **क्षमता विकास दृष्टिकोण:** बेहतर आजीविका के लिये व्यक्तियों और समुदायों के कौशल (व्यावसायिक) और ज्ञान में वृद्धि करना।
  - स्थानीय संस्थाओं की क्षमता निर्माण से निर्णय लेने की प्रक्रिया में समुदायों को शामिल करके प्रभावी शासन और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिये, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना।
- **उपभोग दृष्टिकोण:** प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण और सब्सिडी के माध्यम से कम आय वाले परिवारों की क्रय शक्ति में वृद्धि करना। उदाहरण: पीएम-किसान, पीएम गरीब कल्याण योजना।
- **अंतर-पीढ़ीगत निर्धनता उन्मूलन दृष्टिकोण:** लोगों को उनके नियमित व्यवसायों के अतिरिक्त कौशल सीखने और उनकी क्षमता विकसित करने में सहायता करना, जिससे उन्हें अपनी आय में वृद्धि करने तथा अप्रत्याशित परिस्थितियों से सुरक्षा करने में सहायता मिल सके। उदाहरण: स्वयं सहायता समूह (SHG)।
- **शैक्षणिक एवं जागरूकता:** अति-उपभोक्तावाद से प्रेरित फास्ट फूड के स्थान पर स्वस्थ, पौष्टिक खाद्य संसाधनों के प्रति जागरूकता एवं पहुँच को बढ़ावा देना, सेहतमंद आहार विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिये आवश्यक है।

निष्कर्ष: निर्धनता और कुपोषण के विषाक्त चक्र को तोड़ना निर्धनता तथा भूख से संबंधित एसडीजी-2 एवं 3 को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है। लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से स्वस्थ व्यक्तियों को सुनिश्चित करने से प्रभावी मानव पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जो अंततः दीर्घकालिक राष्ट्रीय समृद्धि को बढ़ावा देगा।

प्रश्न: लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को उस व्यवस्था के बाज़ारीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिये व्यापक भूमिका निभानी चाहिये। कुछ ऐसे उपाय सुझाइये जिनके माध्यम से राज्य लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की पहुँच का विस्तार तृणमूल स्तर तक कर सके।

(250 शब्द, 15 अंक)

In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.

उत्तर : भारत का स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र वर्ष 2023 में 372 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें निजी क्षेत्र माध्यमिक और तृतीयक देखभाल (मेट्रो, टियर-I और टियर-II शहरों में प्रमुख एकाग्रता) क्षेत्र पर हावी है। बाज़ारीकरण के विस्तार से स्वास्थ्य को एक वस्तु के रूप में देखने, रोगी कल्याण पर मुनाफे को प्राथमिकता देने, संभावित रूप से देखभाल की गुणवत्ता से समझौता करने और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच की असमानताओं को बढ़ाने से चिंता बढ़ जाती है।

स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के बा ारीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने में राज्य की भूमिका

- **स्वास्थ्य का अधिकार:** संविधान के अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है, जिसके तहत राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बाज़ारीकरण के दबावों के बीच इस अधिकार की रक्षा करेगा, जिससे असमानता और देखभाल में कमी हो सकती है।
- **राज्य एक परोपकारी के रूप में:** यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक अस्पतालों और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) जैसी सब्सिडी युक्त देखभाल योजनाओं के माध्यम से सभी को, विशेष रूप से कमज़ोर समूहों को, स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हों।
- गुणवत्ता मानकों और रोगी को ठीक करने के उपायों को स्थापित करना, गरिमा तथा अधिकारों को बनाए रखना।
- **विनियामक के रूप में राज्य:** भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के माध्यम से राज्य लाभ-संचालित देखभाल के ह्रास को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा के लिये मानदंड निर्धारित करता है।
- **राज्य एक सुविधाकर्त्ता के रूप में:** वंचित क्षेत्रों में देखभाल प्रदायगी के विस्तार के लिये PPP को सुविधाजनक बनाना। यह समतामूलक स्वास्थ्य देखभाल के वित्तपोषण के लिये धन एकत्रित करता है।

तृणमूल स्तर पर लोक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच विस्तार हेतु उपाय

- राज्य को सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (आशा, ANM) को प्रशिक्षित करना चाहिये ताकि वे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और समुदाय के बीच सेतु के रूप में कार्य कर सकें, स्वास्थ्य शिक्षा तथा रोग का शीघ्र पता लगाने में सहायता कर सकें।
- निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक देखभाल समेत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिये आयुष्मान भारत स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्रों के संचालन का विस्तार करना।
  - स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने और समुदाय-विशिष्ट स्वास्थ्य पहलों को बढ़ाने के लिये 15वें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग करना।
- कम टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करने के लिये प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान जैसी पहलों को लागू करना।
- इसके अतिरिक्त, आकांक्षी ज़िलों में नवीन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, डाटा-संचालित निर्णयों के लिये ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी का उपयोग करना और टेलीहेल्थ सेवाओं को एकीकृत करना स्वास्थ्य सेवा की पहुँच तथा प्रभावशीलता को और बढ़ाएगा।

निष्कर्ष: राज्य को प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने और किफायती, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने, रोगी कल्याण को प्राथमिकता देने तथा कमज़ोर आबादी हेतु पहुँच में सुधार करने के लिये बाज़ारीकरण का उपयोग करना चाहिये।

2023

प्रश्न: "वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएँ अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं।" क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिये।

(250 शब्द , 15 अंक)

"Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach." Do you agree? Give reasons for your answer.

उत्तर: पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के बाद से सरकार ने समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान हेतु कई कल्याणकारी योजनाओं पर काम किया है। हालाँकि ये योजनाएँ एक खास वर्ग के लिये फायदेमंद हैं, लेकिन इनके खिलाफ विरोध नहीं दिखा है।

सकारात्मक भेदभाव की अवधारणा

- यह समाज के एक विशेष वर्ग को लाभ प्रदान करने का कार्य है, जो उनके खिलाफ भेदभाव के इतिहास पर आधारित है।
- उदाहरण के लिये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को अतीत में उनके साथ हुए अमानवीय व्यवहार की भरपाई हेतु आरक्षण, प्रदान करना।
- यह दृष्टिकोण 'समता' की बजाय 'समानता' पर केंद्रित है, जिससे एक निश्चित जीवन स्तर तक पहुँचने के लिये समूहों की आवश्यकताओं में अंतर को पहचाना जाता है।

इसकी आवश्यकता क्यों है?

- कुछ समुदायों के पिछले नुकसानों ने उन्हें इतना वंचित कर दिया है कि सकारात्मक कार्रवाई के बिना उनके सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर को बेहतर करना मुश्किल है।
- भारत में भौगोलिक भिन्नताओं के कारण कुछ स्थानों पर अतिरिक्त लाभ प्रदान करना आवश्यक हो जाता है।
- उदाहरण के लिये, पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (NESIDS)।
- हमारे देश में लैंगिक असमानताएँ बहुत लंबे समय से मौजूद हैं, कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी समस्याएँ हमारे समाज के मूल ढाँचे में अंतर्निहित हैं।
- इसलिये 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और 'किशोरी शक्ति योजना' जैसी योजनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं।

- पूरे समाज में आर्थिक मतभेद जिनकी जड़ें जाति व्यवस्था में मौजूद हैं, वंचित समूहों के लिये आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलना मुश्किल बना देते हैं। इन समूहों को समर्थन देने हेतु समर्पित आर्थिक उत्थान योजनाओं की आवश्यकता है।
- उदाहरण के लिये, जन धन योजना और SC/ST छात्रों को योग्यता आधारित छात्रवृत्ति।
- जबकि यह सच है कि वंचितों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ वास्तव में भेदभावपूर्ण प्रकृति की हैं, यह ध्यान में रखा जाना चाहिये कि यह 'सकारात्मक भेदभाव' उनके खिलाफ दशकों से हुए अन्याय की भरपाई के लिये किया गया है।

प्रश्न: विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है। इस कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल और रोज़गार के मध्य संयोजन का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

Skill development programmers have succeeded in increasing human resources supply to various sectors. In the context of the statement analyses the linkages between education, skill and employment.

उत्तर: शिक्षा, कौशल और रोज़गार तीन बहुत बारीकी से जुड़ी हुई गतिविधियाँ हैं, जो किसी व्यक्ति के लिये महत्त्वपूर्ण हैं तथा राष्ट्र निर्माण के लिये अनिवार्य हैं।

शिक्षा, कौशल और रोज़गार के बीच संबंध

- शिक्षा नागरिक जीवन के आधार के लिये प्रारंभिक उपाय के रूप में कार्य करती है। यह किसी व्यक्ति के पर्याप्त विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है और नागरिक को उचित रोज़गार प्राप्त करने का आधार देती है।
    - बुनियादी और उच्च शिक्षा दोनों ही व्यक्ति को ज्ञान का आधार प्राप्त करने में संबंधित भूमिका निभाती हैं, जिसकी सहायता से वे किसी पेशे के लिये विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- कौशल विकास आवश्यक व्यावसायिक या तकनीकी कौशल सीखने की गतिविधि है, जिसकी किसी उद्योग में प्रत्यक्ष प्रयोज्यता होती है, जिससे सफल रोज़गार प्राप्त होता है, उदाहरण के लिये– C++ का प्रमाणीकरण रोज़गार के बेहतर अवसर प्रदान कर सकता है।
    - सॉफ्ट स्किल्स कौशल का एक उपसमूह है, जिन्होंने पिछले दशकों में लोगों में रुचि बढ़ाई है और आज आधुनिक रोज़गार बाज़ार के लिये आवश्यक कौशल है।
    - कौशल विकास से व्यक्ति न केवल रोज़गार प्राप्त कर सकता है, बल्कि उद्यमिता भी सीख सकता है, जो अंततः रोज़गार देने/सृजन करने में सक्षम बनाती है।
- रोज़गार शिक्षा और कौशल विकास का अंतिम लक्ष्य है। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिये रोज़गार आवश्यक है। रोज़गार किसी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का एक आवश्यक संकेतक है। बेहतर रोज़गार राष्ट्र के विकास की उच्च संभावनाओं को दर्शाता है।
    - शिक्षा और कौशल विकास दोनों ही व्यक्ति को रोज़गार प्राप्त करने में सहायता करने के लिये पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करते हैं।
    - आजकल कंपनियाँ अपने काम पर नियुक्त व्यक्ति को बेहतर बनाने के लिये उसके कौशल को बढ़ाने का एक तरीका अपनाती हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जैसे विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों ने उद्योग को कुशल श्रमिक प्राप्त करने में सहायता की है; दूसरे शब्दों में वे विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधन आपूर्ति बढ़ाने में सफल रहे हैं।

2022

प्रश्न: दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना द्विव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 केवल विधिक दस्तावेज़ बनकर रह जाता है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 remains only a legal document without intense sensitisation of government functionaries and citizens regarding disability. Comment.

उत्तर: दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 पारित किया। 2016 के अधिनियम में नि:शक्तों को एक विकसित और गतिशील एवं चिकित्सा मॉडल से मानवाधिकार मॉडल की ओर स्थानांतरित कर दिया गया है।

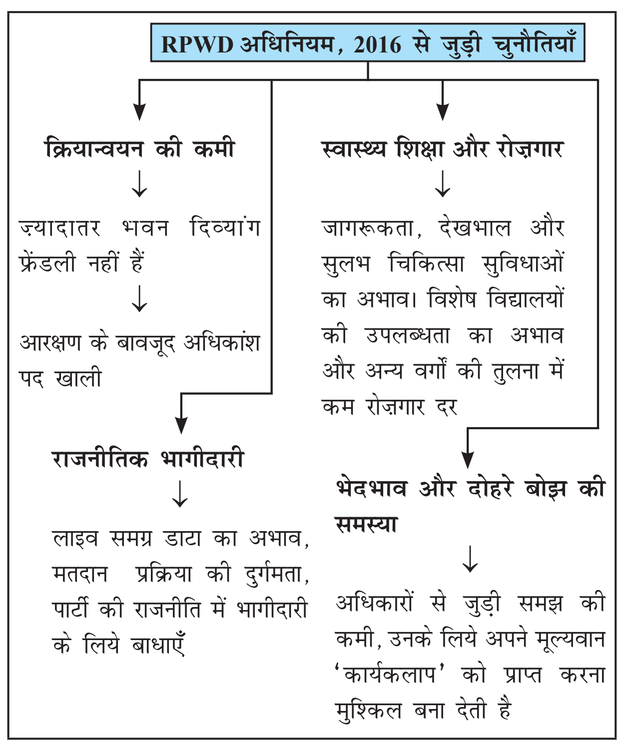

संवेदीकरण की आवश्यकता

- गैर-भेदभाव, पहुँच और अवसर की समानता सुनिश्चित करने हेतु।
- संस्थागत बाधाओं को कम करना और न्यायिक घोषणाओं को लागू करना।
- सरकारों द्वारा शुरू की गईं योजनाओं और पहलों को पूरी तरह तथा तेज़ी से संसाधित करना।
- सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा और संस्था को आजीविका प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिये।
- अंतर्निहित गरिमा का सम्मान, व्यक्तिगत स्वायत्तता और अपनी पसंद बनाने की स्वतंत्रता।

आगे की राह

- समुदाय आधारित पुनर्वास (CBR) दृष्टिकोण और सामाजिक जागरूकता।
- दृष्टिकोण बदलने के लिये जन-जागरूकता और अक्षमता की समझ बढ़ाना।
- राज्यों के साथ सहयोग और आवंटित धन की उचित जाँच तथा ट्रैकिंग।

सरकार और न्यायपालिका ने दिव्यांग लोगों के संबंध में एक अधिकार दृष्टिकोण अपनाया है, अधिनियम के प्रावधानों को उनकी भावनाओं के साथ एकीकृत करके लागू किया गया है।

प्रश्न: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी अपनी सीमाएँ भी हैं। टिप्पणी कीजिये।

(150 शब्द , 10 अंक)

Reforming the government delivery system through the Direct Benefit Transfer Scheme is a progressive step, but it has its limitations too. Comment.

उत्तर: अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के उद्देश्य से सरकार ने अपने कल्याण कार्यक्रमों के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना शुरू की है। वर्ष 2011 में नंदन नीलेकणी समिति ने DBT योजना की अवधारणा की सिफारिश की। DBT के तहत सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित करने से धोखाधड़ी और रिसाव को कम किया जा सकता है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का उद्देश्य

- अधिक मात्रा में खाद्यान्नों की वास्तविक आवाजाही को कम करना।
- DBT बिचौलियों की संस्कृति को मिटा देता है। लीकेज को कम करना। यह भ्रष्टाचार शोषण को कम करता है।
- वित्तीय समावेशन को बढ़ाना। यह सिटीजन चार्टर की सकारात्मक आकांक्षाओं को पूरा करता है।
- यह लक्षित वितरण प्रदान करता है और भुगतान के विलंब समय को कम एवं धोखाधड़ी को रोकता है।

DBT योजना के कुछ उदाहरण– PM किसान योजना, मनरेगा योजना, पहल योजना आदि हैं।

DBT की कुछ सीमाएँ

अभिगम्यता का अभाव
↓
नामांकन बिंदुओं तक पहुँच/निकटता की कमी, ज़िम्मेदार अधिकारियों/संचालकों की अनियमित उपलब्धता आदि।

सुविधाओं में कमी
↓
अभी भी कई ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा नहीं है एवं जनता के बीच वित्तीय साक्षरता की कमी है।

अनिश्चितताएँ
↓
आवेदनों को स्वीकार करने और आगे बढ़ाने में देरी। इससे सेवा वितरण में देरी होती है।

प्रक्रिया में व्यवधान
↓
आधार कार्ड डाटा और बायोमेट्रिक डाटा बेमेल सेवा विवरण प्रणाली में समस्या पैदा करता है।

आगे की राह

- **नवोन्मेष का व्यवस्थीतकरण**
  - मज़बूत तकनीकी बुनियादी ढाँचे और क्षमता निर्माण की ज़रूरत है।
- **सभी के लिये एक सामान्य निकाय**
  - DBT से संबंधित सभी गड़बड़ियों और मुद्दों के लिये सभी स्तरों राज्य, जिला और ब्लॉक में सिंगल विंडो रिड्रेसल प्लेटफॉर्म का प्रावधान होना चाहिये।
- **उपलब्धता:**
  - नामांकन बिंदुओं तक पहुँच बढ़ाने की आवश्यकता तथा सेवाओं के तेज़ी से वितरण के लिये विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सहयोग और समन्वय की बहुत आवश्यकता है।

प्रश्न: कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिये मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये।

(250 शब्द 15 अंक)

Besides the welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged sections of the society. Discuss.

उत्तर: लोकतांत्रिक व्यवस्था को संचालन व्यवस्थाओं में से श्रेयस्कर माना जाता है, इसकी एक विशेषता कल्याणकारी राज्य की उपस्थिति है। भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश है, GDP के अनुसार पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और क्रय शक्ति की समता के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बावजूद भारत की काफी आबादी गरीबी में रहती है तथा महँगाई का मौजूदा अनुमान 6.5 के आस-पास है। CMIE के अनुसार, भारत की कुल बेरोज़गारी दर 7.45 हो गई है।

महँगाई और बेरोज़गारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता

- मांग-आपूर्ति शृंखला और नकारात्मक विकास चक्र के सुचारू रूप से कार्य करने में मदद कर सकता है।
- यह राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं को अधिक धन प्राप्त हो सकता है।
- उत्पादन लागत को कम कर सकता है, जिससे बेरोज़गारी दर कम हो सकती है।
- कोविड-19 महामारी द्वारा निर्मित आर्थिक अराजकता को दूर एवं SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
- आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की कल्पना हेतु महत्त्वपूर्ण है।

आवश्यक कदम क्या-क्या हो सकते हैं?

- FRBM अधिनियम के दिशा-निर्देशांक वित्त आयोग की सिफारिशों, मौद्रिक नीति के गुणात्मक और मात्रात्मक साधनों का कड़ाई से अनुपालन।
  ↓
  जनसांख्यिकीय लाभांश की वास्तविक क्षमता का दोहन करने के लिये और अधिक कौशल विकास की पहल।
- शहरी गरीबों के लिये 'शहरी मनरेगा' जैसी अवधारणा के प्रावधान की आवश्यकता।
  ↓
  मुद्रास्फीति प्रबंधन और अन्य योजनाओं की रणनीति बनाने के लिये उन्नत कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी और डाटा विश्लेषण।
  ↓
  अधिक वित्तीय समावेशन पहल।

चुनौतियाँ

- वैश्वीकरण के युग में रूस-यूक्रेन युद्ध, चीन-ताइवान मुद्दों आदि जैसे विभिन्न भू-राजनीतिक प्रकरणों से अछूता रहना चुनौतीपूर्ण है।
- बाढ़, चक्रवात और सूखा जैसी प्राकृतिक घटनाएँ मुद्रास्फीति प्रबंधन को कुप्रबंधित करती है। इन घटनाओं से बड़े पैमाने पर पलायन, गरीबी और भुखमरी होती है।
- राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार के तत्त्वों और लालफीताशाही के कारण कल्याणकारी कार्यों की प्रगति में बाधा आ सकती है।

आगे की राह

- स्थानीय स्तर पर अधिक रोज़गार सृजन के लिये स्थानीय सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- भारत का लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एकीकृत और मज़बूत होना चाहिये। इससे उत्पादन लागत कम होगी और नए रोज़गार सृजित होंगे।

प्रश्न: क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्त्व को घटाती है? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

Do you agree with the view that increasing dependence on donor agencies for development reduces the importance of community participation in the development process? Justify your answer.

उत्तर: दाता अभिकरण ऐसे अभिकरण हैं, जो विकास प्रक्रिया में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। यह एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण हो सकता है, जैसे कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन, वर्ल्ड बैंक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आदि।

- हाल के दिनों में धन की आसान पहुँच के कारण विकास प्रक्रियाएँ दाता अभिकरणों पर निर्भर हो रही हैं।
- हालाँकि सामुदायिक भागीदारी से रहित बढ़ती निर्भरता जोखिमों से भरी है। सरल शब्दों में सामुदायिक भागीदारी का अर्थ है विकास प्रक्रिया में ज़मीनी स्तर के हितधारकों को शामिल करना।

इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है, जो दाता अभिकरण के कामकाज से संबंधित हैं:

- दाता अभिकरणों के मज़बूत वित्तीय समर्थन को देखते हुए विकास प्रक्रिया में बाधा सीमित है। हालाँकि, पूरी प्रक्रिया में उनकी जवाबदेही कम होती है,क्योंकि वे भागीदारी की बजाय प्रकृति में अधिक उद्देश्यपूर्ण होते हैं।
- विकास प्रक्रिया में दाता अभिकरणों के पास श्रम मज़दूरी और उनकी कार्य स्थितियों से संबंधित अपने नियम हो सकते हैं। यह अक्सर सामुदायिक भागीदारी को इस हद तक सीमित या अलग-थलग कर देता है, जिनके लिये यह प्रतिज्ञा की जाती है।
- ये अधिक प्रौद्योगिकी उन्मुख और उत्पादकता केंद्रित है। यह श्रम बल की भागीदारी में कमी का कारण बनता है एवं दाता अभिकरण भी पक्षपात को बढ़ावा दे सकते हैं, अत: वे अपनी पसंद के अनुसार मदद करते हैं, न कि आवश्यकता के अनुसार।

- इस प्रकार प्रभावी विकास की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है।

सामुदायिक भागीदारी
- जनशक्ति योगदान
- अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने
- सामाजिक अंकेक्षण
- सहकारी संस्कृति को बढ़ावा देने आदि

- यदि कोई केवल दाता अभिकरणों पर निर्भर हो जाता है तो यह विकास प्रक्रिया के लिये एक टॉप-डाउन दृष्टिकोण की तरह है, जो अक्सर ज़मीनी हकीकत को दूर कर सकता है।

इस प्रकार दाता अभिकरण मानवीय है, लेकिन अगर हम उन पर अधिक निर्भर हो जाते हैं तो वे घरेलू या स्थानीय ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देंगे। इसलिये दाता अभिकरणों और समुदायों के बीच किसी भी विकास प्रक्रिया में एक संतुलित दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त है

प्रश्न: स्कूली शिक्षा के महत्त्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किये बिना, बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा-आधारित पद्धति के संवर्द्धन में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अपर्याप्त है। विश्लेषण कीजिये।

(250 शब्द, 15 अंक)

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 remains inadequate in promoting incentive-based system for children's education without generating awareness about the importance of schooling. Analyse.

उत्तर: शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE अधिनियम 2009) 4 अगस्त, 2009 को भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21(A) के तहत 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। भारत उन 135 देशों में से एक है, जिन्होंने हर बच्चे के लिये शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया है।

RTE अधिनियम 2009 की मुख्य विशेषताएँ
- कक्षा 8 तक सभी के लिये अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा।
- स्कूल से बाहर के बच्चों के प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान। उन्हें आयु-उपयुक्त वर्ग में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान।
- भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस।
- कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को स्कूल में आने से रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता है।
- सभी निजी स्कूल सामाजिक रूप से वंचित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिये अपनी 2.5% सीटें आरक्षित करेंगे।
- निम्नलिखित से संबंधित उचित मानदंड और मानक बनाए रखना
  - ❑ छात्र-शिक्षक अनुपात
  - ❑ कक्षाओं की उपलब्धता
  - ❑ छात्र और छात्राओं के लिये अलग शौचालय
  - ❑ पेयजल सुविधा

माता-पिता और बच्चों को शिक्षा पूरी करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु दिया गया प्रोत्साहन
- नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें और स्टेशनरी आइटम।
- मध्याह्न भोजन योजना (PM पोषण) में कक्षा 1 से 8 तक के 11.80 करोड़ बच्चे शामिल।
- सर्व शिक्षा अभियान।
  - ◆ दिव्यांगों/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना।
  - ◆ बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना, डिजिटल अंतराल को समाप्त करना एवं अतिरिक्त कक्षाएँ इत्यादि।
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के मदरसों में प्रयोग, कंप्यूटर प्रयोगशाला प्रदान करना।
- मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिये सुदृढ़ीकरण (SPQEM)।
- गुणात्मक शिक्षा एवं विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली मानकों का पालन करना।

RTE के समक्ष प्रमुख मुद्दे
- बाल मज़दूरों, प्रवासी बच्चों, दिव्यांग बच्चों में मुफ्त शिक्षा, किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य प्रोत्साहनों के बारे में जागरूकता का अभाव
- अल्पसंख्यक बच्चे SPQEM योजना के विशेष प्रावधानों से अनभिज्ञ हैं।
- अनुच्छेद 21 A के बारे में जागरूकता की कमी।
- 25% आरक्षण के बारे में वंचित वर्गों में जागरूकता की कमी।

जागरूकता पैदा करने के लिये आवश्यक कदम
- स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि और पंचायतों के सरपंच अपने स्थानीय क्षेत्रों में अभियान का आयोजन करें।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षकों द्वारा दौरा करना।

RTE अधिनियम को अपने उद्देश्य में सफल होने के लिये एक लंबा रास्ता तय करना है। सभी माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भोजन मिले, लेकिन सीमित जागरूकता के कारण योग्य बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसलिये सोशल मीडिया परिदृश्य बदल सकता है तथा भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश राष्ट्र के लिये संपत्ति में बदल जाएगा।

2021

प्रश्न: "व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिये 'सीखते हुए कमाना (अर्न व्हाइल यू लर्न)' की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है।" टिप्पणी कीजिये। **(150 शब्द, 10 अंक)**

"Earn while you learn' scheme needs to be strengthened to make vocational education and skill training meaningful." Comment.

उत्तर: व्यावसायिक शिक्षा काम (work) और सीखने (learning) का एक बेहतरीन संयोजन है। इस दिशा में 'सीखते हुए कमाना' योजना 'लर्निंग बाय डूइंग' और 'अर्निंग बाय लर्निंग' के जुड़वाँ स्तंभों पर आधारित है। इस योजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह योजना 18-25 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों को अंशकालिक रोज़गार के माध्यम से मानदेय अर्जित करने में सक्षम बनाती है।

सीखते हुए कमाना, योजना के लाभ

- विद्यार्थियों को सीखते हुए कमाने का अवसर प्रदान करना।
- वास्तविक रोज़गार से पहले विद्यार्थियों को कार्य के वातावरण से परिचित कराना।
- विद्यार्थियों में कड़ी मेहनत और श्रम की गरिमा के मूल्यों को विकसित करना।
- विषय वरीयताओं का पता लगाने तथा करियर चयन में सक्षम बनाना।
- विद्यार्थियों को कार्य का अनुभव प्रदान करना, ताकि वे भविष्य में नौकरी के लिये बेहतर तरीके से तैयार हो सकें।

चुनौतियाँ

- नियमित कर्मचारियों की कमी।
- निम्न पारिश्रमिक के कारण प्रेरणा की कमी।
- शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षित प्रशिक्षक की कमी।
- अपर्याप्त वित्त पोषण।

भारत निश्चित रूप से दुनिया की कौशल राजधानी बन सकता है और अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त कर सकता है। इसके लिये शारदा प्रसाद समिति की सिफारिश के अनुसार पाठ्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकता के अनुसार मानक प्रणाली स्थापित करना एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिये।

प्रश्न: क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दु:श्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Can the vicious cycle of gender inequality, poverty and malnutrition be broken through micro-financing of women SHGs? Explain with examples.

उत्तर: नाबार्ड की पहल पर 1992 में स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य असंगठित क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र से जोड़ना है, जो लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दु:श्चक्र को तोड़ने के लिये सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है।

महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका

- **पोषण सुरक्षा की दिशा में काम:** महिला SHG का वित्त पोषण पूरे परिवार के लिये बेहतर पोषण परिणामों से जुड़ा है। यह अंतर पीढ़ीगत गरीबी को तोड़ने में महत्त्वपूर्ण है, जैसे- अहमदाबाद का सेवा संगठन।
- महिला SHG ने देश की गरीब, वंचित महिलाओं को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करके उन्हें आर्थिक विकास के अवसर प्रदान किये हैं, जैसे- राजस्थान में जय अंबे, SHG अपने गरीब सदस्यों के लिये ऋण की सुविधा प्रदान करता है।
- महिला SHG सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर सामाजिक परंपराओं और लैंगिक भेदभाव की बाधाओं को तोड़ने में मदद करते हैं, जैसे- कुटुंबश्री।
- महिला SHG सरकार के साथ मिलकर न सिर्फ स्वयं के सदस्यों के लिये रोज़गार सृजन कर रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं, जैसे- झारखंड के फरहत SHG ने कोविड-19 के दौरान मास्क बनाए।

हालाँकि महिला SHG के सामने उच्च ब्याज दर, संपार्श्विक की मांग, ऋणों का गैर-प्रभावी उपयोग जैसी समस्याएँ मौजूद हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिये क्रेडिट, बचत, प्रेषण, वित्तीय सलाह आदि उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करनी चाहिये।

सूक्ष्म वित्त मॉडल लैंगिक समानता में तभी सुधार करेगा, जब SHG को सरकार और उसके संस्थानों द्वारा समर्थन दिया जाता है तथा इसके सदस्यों को अपने परिवार के सदस्यों का समर्थन और सहयोग मिलता है।

प्रश्न: क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से, डिजिटल निरक्षरता ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) की अल्प-उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की है? औचित्य सहित परीक्षण कीजिये।

(250 शब्द, 15 अंक)

Has digital illiteracy, particularly in rural areas, coupled with lack of Information and Communication Technology (ICT) accessibility hindered socio-economic development? Examine with justification.

उत्तर: देश के ग्रामीण-शहरी क्षेत्र में बड़ा डिजिटल अंतराल व्याप्त है तथा ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड की पहुँच राष्ट्रीय औसत से कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संचार साधनों तक पहुँच पुरुषों की तुलना में कम है, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कम डिजिटल साक्षरता प्राप्त है।

सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधक के रूप में डिजिटल साक्षरता

- बच्चों की गुणवत्ता वाली शिक्षा या डिजिटल कक्षाओं तक पहुँच नहीं। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में असमानता और बढ़ गई।
- निरक्षरता के कारण लाभार्थियों को ई-गवर्नेंस से जुड़ी सरकारी योजनाओं का प्रभावी लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। प्रारंभिक चरण में कोविन पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग की अनिवार्यता के कारण शिक्षित एवं शहरी जनसंख्या को ही अधिक वैक्सीन लगी थीं।
- कोविड-19 महामारी के दौरान लोग ऑनलाइन सुविधाओं और साक्षरता की कमी के कारण उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खराब स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे को देखते हुए एक चुनौती है।
- इंटरनेट तथा डिजिटल साक्षरता की कमी ग्रामीण युवाओं को रोज़गार और आय सृजन के असंख्य अवसरों से वंचित कर देती है, जैसे- ई-कॉमर्स, टेली-कॉलिंग।

इस अंतराल को कम करने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदम–

- डिजिटल इंडिया अभियान
- राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (NDLM) का प्रारंभ
- ई-लर्निंग को और अधिक सुलभ बनाने के लिये पीएम ई-विद्या कार्यक्रम की शुरुआत
- सामान्य सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सामाजिक कल्याण योजनाओं, वित्तीय, शिक्षा और कृषि सेवाओं के वितरण तक पहुँच प्रदान करना।

वास्तव में डिजिटल अंतराल केवल डिजिटल पहुँच की समस्या से ग्रसित है तथा इसे केवल संचार साधनों की उपलब्धता बढ़ाकर कम नहीं किया जा सकता है। इसके लिये सूचना तक पहुँच, सूचना का उपयोग और सूचना की ग्रहणशीलता में सुधार करने की आवश्यकता है।

प्रश्न: "यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, इसके बावजूद महिलाओं और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पित्तृसत्तात्मक रहा है।" महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के अतिरिक्त कौन-से हस्तक्षेप इस परिवेश के परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं? (250 शब्द, 15 अंक)

"Though women in post-Independent India have excelled in various fields, the social attitude towards women and feminist movement has been patriarchal." Apart from women education and women empowerment schemes, what interventions can help change this milieu?

उत्तर: स्वतंत्र भारत में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। वर्तमान महिलाओं की साक्षरता दर बढ़कर 65.4 प्रतिशत हो गई है तथा पंचायत के स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों में लगभग आधी संख्या महिलाओं की है।

पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के कारण

- समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चे पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण सीख जाते हैं, जिसमें एक पुरुष/पिता घर का मुखिया होता है।
- रूढ़िवादी दृष्टिकोण है कि महिलाएँ हिंसा, भेदभाव और अन्याय के प्रति संवेदनशील होती हैं।
- बलात्कार, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, घरेलू हिंसा, बहु-विवाह, निकाह, हलाला, ट्रिपल तलाक, कन्या भ्रूण हत्या, सती प्रथा, दहेज़ हत्या, कुपोषण, अल्पपोषण आदि महिलाओं को घर से वंचित और राजनीतिक रूप से शोषित, सामाजिक रूप से वंचित और राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रखते हैं।
- समाज में मातृत्व को महिलाओं के जीवन का सबसे महत्त्वपूर्ण विषय बना दिया जाता है, जो महिलाओं की गतिशीलता को सीमित करता है।
- धर्म और धार्मिक संस्थाएँ पितृसत्तात्मक सामाजिक प्रथाओं को वैध बनाती हैं।

महिलाओं की स्थिति में सुधार और पितृसत्तात्मक रवैये को समाप्त करने के लिये आवश्यक हस्तक्षेप

- व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रमों, रोल मॉडलिंग और भावनात्मक अपील पर ध्यान देना, जैसे- बेटियों के साथ सेल्फी लेना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान।
- पंचायत की तरह संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण। इस हेतु 108वें संविधान संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार करना।
- सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक जीवन में अधिक संख्या में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देती है; जैसे- उत्तर प्रदेश का मिशन शक्ति, रोमियो स्क्वॉड।
- महिला विशिष्ट कानूनों; जैसे- घरेलू हिंसा अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम आदि, किंतु कई मौजूदा कानूनों को और अधिक लिंग तटस्थ बनाने की आवश्यकता है, जैसे- वैवाहिक बलात्कार।
- पारिवारिक मूल्यों के स्तर पर लैंगिक समानता की शुरुआत परिवार के अंदर होनी चाहिये।

- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में दोषसिद्धि की दर NCRB की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 26 प्रतिशत है। इस संबंध में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।
- संस्थागत स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है; जैसे- हाल में महिलाओं को NDA परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। नारीवादी आंदोलन का समर्थन करने के लिये शिक्षा और सशवित्तकरण योजनाओं के साथ अन्य उपायों को भी समाज में पूरी तरह से लागू करने की आवश्यकता है। हाल ही के वर्षों में महिलाओं द्वारा एक क्रमिक परिवर्तन का अनुभव किया गया है एवं वे अधिक स्वतंत्र एवं जागरूक हो गई हैं, जिसमें निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है।

2020

प्रश्न: सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में, विशेषकर जराचिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। विवेचना कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

In order to enhance the prospects of social development, sound and adequate health care policies are needed particularly in the fields of geriatric and maternal health care. Discuss.

उत्तर: जनगणना 2011 के अनुसार देश में वृद्धजनों की संख्या 10.4 करोड़ है, जो 2026 तक 17 करोड़ हो जाएगी। इस तरह कुल जनसंख्या में लगभग 22 प्रतिशत महिलाओं के प्रजनन आयु समूह में है तथा मातृ मृत्यु अनुपात 113 प्रति लाख के उच्चतम स्तर पर है।

- ऐसे में दो बड़े जनसमूह के लिये सुदृढ़ और पर्याप्त जराचिकित्सा और मातृ स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराके ही सामाजिक विकास किया जा सकता है।

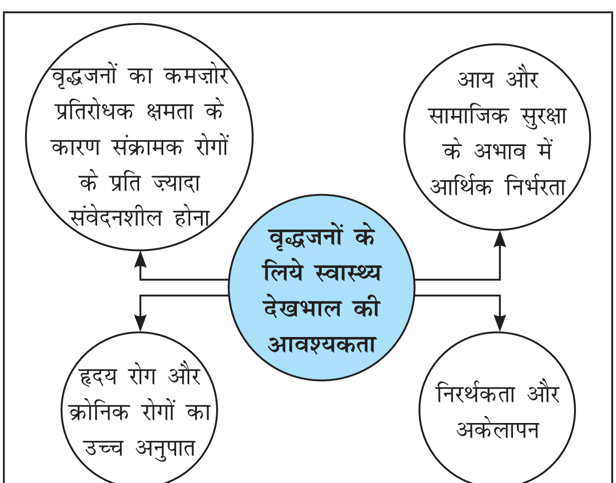

मातृ स्वास्थ्य के लिये स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना- इस योजना की पात्र गर्भवती महिलाओं को 3 किश्तों में ₹ 5000 दिये जाते हैं।
- जननी सुरक्षा योजना- इस उद्देश्य हेतु संस्थागत प्रभाव को बढ़ावा देना है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान- हर महीने की 9वीं तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं (जाँच एवं दवाओं सहित) की न्यूनतम सेवा प्रदान की जाती है।
- महिलाओं की स्वास्थ्य समस्या का प्रभाव नवजात वर्ग पर पड़ना और कुपोषण का दु:ष्चक्र बनना।
- छुपी भूख और कुपोषण की समस्या।
- महिलाओं में कम वज़न और रक्ताल्पता की समस्या।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार देश में 55 में से प्रत्येक एक महिला पर मातृ मृत्यु का खतरा।

- माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक अनुरक्षण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत बुजुर्गों की देखभाल की ज़िम्मेदारी का दायित्व राज्यों का है।

इसके साथ ही आयुष्मान भारत सहित वर्गों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इन प्रयासों से इतर भी पोषण और स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं और वृद्धजनों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करके संधारणीय विकास लक्ष्य-3, अर्थात् उत्तम स्वास्थ्य खुशहाली को प्राप्त किया जा सके।

प्रश्न: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य-4 (2030) के साथ अनुरूपता में है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुन: संरचना है। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

National Education Policy 2020 is in conformity with the Sustainable Development Goal-4 (2030). It intends to restructure and reorient education system in India. Critically examine the statement.

उत्तर: भारत की शिक्षा प्रणाली में आ रही गिरावट की स्थिति में बदलाव लाने के लिये डॉ. के. कस्तूरीरंगन ने शिक्षा नीति को एसडीजी-4 के अनुरूप निर्मित करने की सिफारिश की। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) लाई गईं, जिसके माध्यम से शिक्षा प्रणाली की पुनर्संरचना और पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया गया है।

4SDG-4 समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करता है और सभी के लिये आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देता है।

NEP के उद्देश्य, जैसे-

- विकसित सोच
- खोज, चर्चा
- विश्लेषण पर आधारित ज्ञान
- संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण
- संज्ञात्मक विकास
- संख्यात्व
- मौलिक साक्षरता

निम्नलिखित प्रावधानों के माध्यम से NEP इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है–

- **प्रारंभिक वर्षों के महत्त्व को पहचानना:** 3 वर्ष की आयु से शुरू होने वाली स्कूली शिक्षा के लिये 5+3+3+4 मॉडल को अपनाकर यह नीति 3 से 8 वर्ष की आयु की प्रारंभिक अवस्था में भविष्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण है।
- **मल्टी-डिसिप्लिनरी एप्रोच:** हाईस्कूल में कला, वाणिज्य और विज्ञान के मध्य अनिवार्य विभाजन को समाप्त करना।
- **शिक्षा और कौशल:** NEP में इंटर्नशिप के अलावा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का भी प्रावधान है। इससे समाज के कमज़ोर वर्गों को फायदा होगा।
- **शिक्षा को अधिक समावेशी बनाना:** 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिये शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के विस्तार का प्रस्ताव करती है।
- **प्रभावी विनियमन:** नीति में शिक्षा के लिये एक शीर्ष नियामक की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो भारत में शिक्षा के मानकों जैसे- स्थापना, वित्तपोषण, मान्यता और विनियमन के लिये ज़िम्मेदार होगा।
- **विदेशी विश्वविद्यालयों की अनुमति:** यह नीति दुनिया के 100 विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर खोलने में सक्षम बनाएगी।
- हालाँकि, कई मुद्दों पर NEP वास्तव में भारत की शिक्षा प्रणाली की कमियों को पहचानने में सक्षम नहीं हो पा रही है।
- मार्क्स डोमिनेटेड एजुकेशन सिस्टम: जब तक अंक या कोड शिक्षा प्रणाली पर हावी है, तब तक एनईपी के उद्देश्यों की पूर्ति की संभावना कम है।
- **नॉलेज-जॉब्स मिसमैच:** अर्जित ज्ञान तथा कौशल एवं उपलब्ध नौकरियों के बीच निरंतर एक बड़ी खाई है।
- **असमानता:** हमारे समाज और शिक्षा प्रणाली में विद्यमान असमानता जैसी मुख्य समस्या को दूर करने में सक्षम नहीं है।
- **संघीय ढाँचा:** हालाँकि, शिक्षा भारत के संघीय ढाँचे में एक समवर्ती विषय है, फिर भी एनईपी अति केंद्रीकरण का प्रतीक है।

निष्कर्ष: हालाँकि, NEP भारत की शिक्षा प्रणाली में एक समग्र परिवर्तन लाने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे किस तरह से लागू किया जाएगा।

प्रश्न: "केवल आय पर आधारित गरीबी के निर्धारण में गरीबी का आयतन और तीव्रता अधिक महत्त्वपूर्ण है।" इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्ष नवीनतम रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

"The incedence and intensity of poverty are more important in determining poverty based on income alone". In this context analyse the latest United Nations Multidimensional Poverty Index Report.

उत्तर: 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' तथा 'ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव (ODHI)' द्वारा 'वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (2020 GMPI) में संबंधित आँकड़े जारी किये गए।

- बहुआयामी गरीबी से संबंधित इस अध्ययन का शीर्षक 'चार्टिंग पाथवे आउट ऑफ मल्टीडायमेंशनल पावर्टी: 'एचिएविंग द एसडीजी' है।
- 'बहुआयामी गरीबी' के निर्धारण में 'आय पर आधारित गरीबी निर्धारण से इतर लोगों द्वारा दैनिक जीवन में अनुभव किये जाने वाले सभी अभावों/कमी को समाहित किया जाता है।

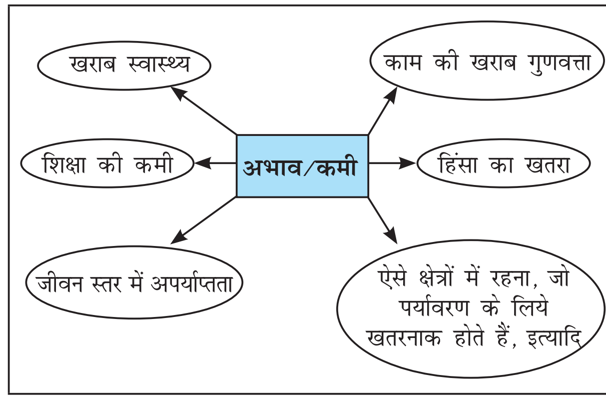

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी यह रिपोर्ट वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर आधारित थी, जो प्रत्येक वर्ष व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से गरीब लोगों के जीवन की जटिलताओं की माप करता है।

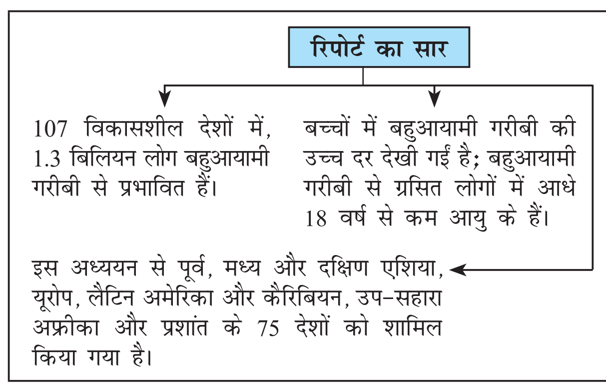

आयाम, संकेतक

यह बताता है कि लोग तीन प्रमुख आयामों में किस प्रकार पीछे रह जाते हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर; जिसमें 10 संकेतक शामिल हैं। जो लोग इन भारित संकेतकों में से कम-से-कम एक-तिहाई में अभाव का अनुभव करते हैं, वे बहुआयामी गरीबी की श्रेणी में आते हैं।

आयाम	सूचक	भारांश
स्वास्थ्य (1/3)	पोषण	1/6
	बाल मृत्यु दर	1/6
शिक्षा 1/3	शिक्षण वर्ष	1/6
	विद्यालय उपस्थिति	1/6
	खाना पकाने का ईंधन	1/18

जीवन स्तर 1/3	स्वच्छता	1/18
	पेयजल	1/18
	विद्युत	1/18
	गृह/घर	1/18
	संपत्ति	

संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 की नवीनतम रिपोर्ट भारत के संदर्भ में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को संकेतित करती है-

- लगभग 2 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे में आते हैं। उनमें से लगभग आधे लोग गंभीर गरीबी की स्थिति में रहते हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 महामारी वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन में हुई प्रगति को 3-10 वर्ष पीछे धकेल सकती है।
- आँकड़ों के अनुसार, भारत समेत चार देशों ने विगत 5 से 10 वर्षों में अपनी वैश्विक बहुआयामी गरीबी को कम करके आधा कर लिया है।

सतत् विकास लक्ष्य और वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक

- यह सूचकांक वर्ष 2030 से 10 वर्ष पहले ही वैश्विक गरीबी की एक व्यापक और गहन तस्वीर प्रदान करता है, जो कि सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने का नियत वर्ष है, जिसका पहला लक्ष्य हर जगह अपने सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना है।

भारत के बारे में प्रमुख निष्कर्ष

- दुनिया में सबसे ज़्यादा 22.8 करोड़ गरीब भारत में हैं, इसके बाद नाइजीरिया में 9.6 करोड़ लोग गरीब हैं।
- इनमें से दो-तिहाई लोग ऐसे घरों में रहते हैं, जिनमें कम-से-कम एक व्यक्ति पोषण से वंचित है।

अत: भारत को चाहिये कि अधिक प्रभावी और तीव्रता के साथ गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों को चलाए, ताकि वर्ष 2030 तक भारत बहुआयामी गरीबी से शत-प्रतिशत मुक्त हो सके।

प्रश्न: "सूक्ष्म-वित्त एक गरीबी-रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा के लिये लक्षित है।" स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ-साथ उपर्युक्त दोहरे उद्देश्यों के लिये कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

"Micro-Finance as an anti-poverty vaccine, is aimed at asset creation and income security of the rural poor in India". Evaluate the role of the Self Help Groups in achieving the twin objectives along with empowering women in rural India.

उत्तर: भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिये ग्रामीण दरिद्रता समाप्त करने के प्रभावकारी उपाय अमल में लाने होंगे। इसके लिये सूक्ष्म वित्त एक सक्षम एवं सशक्त माध्यम के रूप में चिह्नित किया गया है, जो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण दरिद्रता को समाप्त करने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है।

स्वयं सहायता समूह

- एक समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के छोटे असंगठित समूह होते हैं, जो सदस्यों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिये तथा समूह के सदस्यों के लाभ के लिये संसाधनों को जुटाने एवं उनके प्रबंधन के साझा उद्देश्य हेतु स्वेच्छा से एक साथ आते हैं।
- स्वयं सहायता समूह संयुक्त देयता और लघु बचत के प्रबंधन के माध्यम से आर्थिक लाभ अर्जित करते हैं।
- ये समूह भागीदारीपूर्ण संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं और समावेशी विकास में मदद करते हैं।
- ये समूह स्थानीय सूचना के माध्यम से संभावित उच्च जोखिम वाले उधारकर्त्ताओं को चिह्नित करने में सहायता प्रदान करते हैं, परिणामस्वरूप बैंक उधार देने के लिये अधिक तत्पर रहते हैं, क्योंकि संबद्ध जोखिम कम रहता है एवं वित्तीय समावेशन में मदद करते हैं।

'सेल्फ हेल्प ग्रुप-बैंक लिंकेज कार्यक्रम' सेवा वंचित निर्धनों तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच के लिये लागत प्रभावी तंत्र के रूप में उभरा है, जो न केवल ग्रामीण निर्धन महिलाओं की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने में सफल रहा है, बल्कि निर्धनों की सामूहिक स्वयं सहायता क्षमताओं को भी मज़बूत कर रहा है, जिनसे उनका सशक्तिकरण हो रहा है।

निम्नलिखित विषयों में सहायता प्रदान करते हैं

- सूक्ष्म उद्यमों के माध्यमों से आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- सूक्ष्म उद्यमों के लिये सूक्ष्म वित्त बैंकों से प्राप्त करना।
- कमज़ोर वर्गों के लिये रोज़गार अवसर में वृद्धि।

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में SHG की भूमिका

- सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा प्राप्त होने वाले ऋण से महिलाओं के उद्यमों का सृजन, विकास एवं संवर्द्धन जारी है, जिससे महिलाओं में स्वायत्तता, स्वतंत्रता, आत्मनिभरता, स्वरोज़गार व आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है।
- महिलाओं के SHG के सदस्य के रूप में कार्य करने से उनमें स्वनिर्णय की क्षमता का विकास हुआ है, क्योंकि बैंकों के लेन-देन एवं कागज़ी कार्रवाई जैसी गतिविधियाँ उनमें आत्मविश्वास जगाती हैं।
- इन समूहों के माध्यम से पंचायत संस्थाओं, बैंकों, गैर-सरकारी संगठनों से संपर्क करने से महिलाओं की सूचनाओं व संस्थानों तक पहुँच में वृद्धि हुई है। वे परिवार नियोजन, बाल शिक्षा, वित्तीय निवेश आदि पारिवारिक मामलों में स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में आ रही हैं।

स्वयं सहायता समूह समावेशी विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने के यथार्थवादी, व्यवहार्य और संवहनीय विकल्प हैं। सरकार को एक सूत्रधार और प्रवर्तक की भूमिका निभानी चाहिये तथा SHG आंदोलन के विकास एवं विस्तार के लिये एक सहयोगी वातावरण का निर्माण करना चाहिये।

2019

प्रश्न: भारत में निर्धनता और भूख के बीच संबंध में एक बढ़ता हुआ अंतर है। सरकार द्वारा सामाजिक व्यय को संकुचित किये जाना, निर्धनों को अपने खाद्य बजट को निचोड़ते हुए खाद्येतर अत्यावश्यक मुद्दों पर अधिक व्यय करने के लिये मजबूर कर रहा है। स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

There is a growing divergence in the relationship between poverty and hunger in India. The shrinking of social expenditure by the government is forcing the poor to spend more on non-food essential items squeezing their food-budget. Elucidate.

उत्तर: पिछले एक दशक और उससे अधिक के दौरान, भले ही भारत चीन के बाद दुनिया में सबसे अधिक बढ़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, यह भूखे लोगों की पूर्ण संख्या के मामले में उप-सहारा अफ्रीका से आगे निकल गया है। भारत सरकार देश में गरीबी के प्रसार में पर्याप्त कमी का दावा करती है, लेकिन वास्तविकता अलग है, जो गरीबी और भूख में गिरावट के बीच विचलन को रेखांकित करती है।

- गरीबी और भुखमरी के बीच बढ़ता अंतर और कारण
  - लोकप्रिय धारणा के विपरीत खाद्य असुरक्षा गरीबी का एक लक्षण है।
  - सरकार द्वारा सिकुड़ते सामाजिक व्यय के कारण भारत वर्तमान में 'खाद्य-बजट संकट' का सामना कर रहा है।
  - शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, ईंधन और प्रकाश व्यवस्था पर निर्धनों का व्यय बढ़ रहा है।
  - इन मदों पर मासिक व्यय का हिस्सा इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि इसने पिछले तीन दशकों में वास्तविक आय में हुई सारी वृद्धि को अवशोषित कर लिया है।
  - इसने 'फूड बजट स्कवीज़' की स्थिति उत्पन्न की है। अन्य देशों की तुलना में भारत में सामाजिक क्षेत्र का व्यय हमेशा कम रहा है।
- कई कारकों ने खाद्य बजट की कमी के प्रभावों को जटिल बना दिया है–
  - व्यवसाय की संरचना तेज़ी से परिवर्तन के दौर से गुज़र रही है।
  - ग्रामीण कामगार कार्य की तलाश में बड़ी संख्या में शहरी केंद्रों या अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं।
  - इस तरह के अधिकांश प्रवास प्रकृति में अस्थायी और मौसमी होते हैं तथा इसमें अपेक्षाकृत बड़ी दूरी की यात्रा शामिल है।
  - श्रम के इस बड़े संचलन का परिवारों के व्यय प्रारूप पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है।
  - नोबल अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने अपनी पुस्तक 'Poor Economics' में इस ओर ध्यान दिलाया है कि अच्छे स्वाद वाली महँगी कैलोरी को वरीयता दी जा रही है और रेडियो, टीवी और मोबाइल फोन जैसी विलासिता वस्तुओं पर व्यय बढ़ा है।

अतः सरकार को शिक्षा की मद में सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक व्यय बढ़ाकर (कस्तूरीरंगन समिति की अनुशंसा के अनुरूप) और स्वास्थ्य पर जीडीपी के 2.5% व्यय के लक्ष्य को पूरा कर (जिससे निर्धन पोषण पर केंद्रित हो सकें) इन अपेक्षाओं की पूर्ति करनी चाहिये।

प्रश्न: "विकास योजना के नव-उदारी प्रतिमान के संदर्भ में आशा की जाती है कि बहु स्तरी योजनाकरण संक्रियाओं को लागत प्रभावी बना देगा और अनेक क्रियान्वयन रुकावटों को हटा देगा।" (250 शब्द, 15 अंक)

'In the context of the neo-liberal paradigm of developmental planning, multi-level planning is expected to make operations cost-effective and remove many implementation blockages.' Discuss.

उत्तर: 1990 के दशक में भारत ने व्यापक नीति नियोजन के स्थान पर नव-उदारवादी नीतियों को अपनी विकासात्मक योजना का भाग बनाया। वर्तमान समय में बहु-स्तरीय नियोजन की ओर भी धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ है।

- बहु-स्तरीय नियोजन वार्ता, विचार-विमर्श एवं परामर्श के माध्यम से नियोजन प्रक्रिया में सभी स्थानिक स्तरों पर निर्णय-निर्माताओं को एकीकृत करता है।
- यह नीतियों को प्रासंगिक तथा आवश्यकता आधारित बनाता है। यह प्रत्येक आवश्यक स्तर पर इस तरह के सहयोग को प्रभावी बनाने के लिये प्रक्रिया तंत्र/संस्थान भी स्थापित करता है।

लागत-प्रभावी संक्रियाएँ तथा बेहतर कार्यान्वयन

- स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण तथा भागीदारी के माध्यम से विकास कार्यान्वयन में विभिन्न विसंगतियों का समाधान किया जा सकता है।
- यह उपर्युक्त भूमिका स्पष्टता से सुनिश्चित करने, परस्पर-व्यापक (ओवरलैपिंग) क्षेत्राधिकार को हटाने तथा क्षेत्रीय विभागों में आवश्यक संपर्क स्थापित करने के माध्यम से कार्यान्वयन प्रक्रिया को सरलीकृत करता है।
- अधिक प्रासंगिक नीतियाँ बनाने हेतु यह लोगों के साथ गहन रूप से जुड़ने के लिये एक तंत्र को समाविष्ट करता है।
- विकासात्मक प्रक्रिया के लाभार्थियों की ज़रूरतों तथा हितों तक पहुँच बनाने में सहायता प्रदान करता है।
- बहु-स्तरीय नियोजन विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के मध्य स्वामित्व की भावना पैदा करेगा। यह ज़िला-स्तरीय योजना समिति को समग्र नीति-निर्धारण में योगदान देने के लिये भी सशक्त करता है।
- विकेंद्रीकृत नियोजन वांछित परिणामों के लिये कार्यान्वयन रणनीतियों तथा संसाधन आवंटन की अनुकूलता में सहायता प्रदान करता है।

- बेहतर पर्यवेक्षण तथा निगरानी बहु-स्तरीय योजना लोगों तथा स्थानीय प्रशासन को विकास प्रक्रिया में एक सक्रिय हितधारक बनाने में सहायता करती है।
- इस प्रकार की योजनाएँ दुर्लभ सरकारी संसाधनों के पर्यवेक्षण तथा निगरानी में सुधार करती हैं।
- यह नीति-निर्धारण तथा इसके कार्यान्वयन में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है।

आगे की राह

नीति आयोग द्वारा ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण करने तथा सरकार के उच्च स्तरों पर इन्हें निरंतर विकसित करने हेतु तंत्र विकसित करने के लिये विभिन्न पहलें की गई हैं।

- महत्त्वाकांक्षी ज़िला योजना भी बहु-स्तरीय योजना तथा कार्यान्वयन की दिशा में एक अभिनव कदम है।
- देश में सुशासन के संवर्द्धन हेतु लक्ष्य आधारित नियोजन को प्रोत्साहन देने, नीति-निर्माण के लिये स्थानीय अधिकारियों के प्रशिक्षण व ज़िला योजना समिति के पुनरुत्थान आदि जैसे कदम उठाए जाने चाहिये।

प्रश्नः विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के बीच सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवचन का एक अंतर्निहित घटक है। साझेदारी क्षेत्रकों के बीच पुल बनाती है। यह 'सहयोग' और 'टीम भावना' की संस्कृति को भी गति प्रदान कर देती है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में भारत के विकास प्रक्रम का परीक्षण कीजिये।

(250 शब्द , 15 अंक)

The need for cooperation among various service sectors has been an inherent component of development discourse. Partnership bridges the gap among the sectors. It also sets in motion a culture of 'collaboration' and 'team spirit'. In the light of statements above examine India's development process.

उत्तरः भारत विश्व में सबसे तीव्रता से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कोविड-19 की तीन लहरों तथा रूस-यूक्रेन संघर्ष के बावजूद दुनियाभर की एजेंसियों ने भारत की विकास दर वित्त वर्ष 2023 में 6.5-7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

- सेवा क्षेत्र में आने वाले एफ.डी.आई. इक्विटी भारत में कुल एफ.डी.आई. इक्विटी अंतर्वाह का 60 प्रतिशत से अधिक है।
- शिक्षा सेवाएँ, स्वास्थ्य सेवाएँ, पर्यटन, आईटी इत्यादि भारत के सेवा क्षेत्र के प्रमुख घटक हैं।

विभिन्न सेवाओं के उप-क्षेत्रों में सहयोग

- भारतमाला परियोजना की पहल न केवल बेहतर परिवहन सेवाओं के माध्यम से संपर्क प्रदान करती है, बल्कि निर्माण क्षेत्र में रोज़गार भी उत्पन्न करती है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलता है।
- हवाई मार्ग संपर्क को बढ़ावा देने के लिये 'उड़ान योजना' न केवल क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि आवास तथा रीयल एस्टेट क्षेत्र, निर्माण सामग्री, पर्यटन क्षेत्र आदि को भी वृद्धि की ओर ले जाती है।
- 'भारत नेट परियोजना' के माध्यम से डिजिटल कनेक्टिविटी को संवर्द्धन, 'स्टार्ट-अप इंडिया' के द्वारा विभिन्न क्षेत्रकों (यथा- स्वास्थ्य, ऑनलाइन खाद्य वितरण आदि) में स्टार्ट-अप को बढ़ाया।
- शिक्षा में निवेश के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले आईटी पेशेवरों की संख्या में बढ़ोतरी आदि के ज़रिये विभिन्न सेवा क्षेत्रों में आपसी सहयोग निवेश पूरी अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है।

नेतृत्व स्तर पर सहयोग

तेज़ी से आगे बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था, सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य आपस में तथा व्यवसायों के साथ भी इनके सहयोग के लिये बृहद् स्तर पर अवसर प्रदान करती है। इसे निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से भारत की विकास प्रक्रिया में देखा जा सकता है-

- विभिन्न स्तरों पर साझेदारी के माध्यम से चिह्नित किये गए 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की सरकार की पहल।
- जीएसटी के आरंभ के समय केंद्र, राज्यों तथा व्यावसायिक समूहों के मध्य सहयोग की आवश्यकता हुई।
- सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा एजेंसियों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद को सुलभ बनाने के लिये प्रौद्योगिकी संचालित मंच के रूप में सरकारी ई-मार्केट प्लेस की स्थापना।
- नीति आयोग कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे बेहतर अंतर-मंत्रालयी समन्वयन एवं बेहतर केंद्र-राज्य समन्वय को बढ़ावा मिलता है।

सेवा क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास को बढ़ा देता है, बल्कि मानव पूंजी के विकास के अवसर भी उत्पन्न करता है। इस प्रकार भारत का विशाल जनसांख्यिक लाभांश का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब शासन के सभी स्तरों पर 'सहयोग' तथा 'टीम भावना' की संस्कृति हो।

प्रश्नः सुभेद्य वर्गों के लिये क्रियान्वित की जाने वाली कल्याण योजनाओं का निष्पादन उनके बारे में जागरूकता के न होने और नीति प्रक्रम की सभी अवस्थाओं पर उनके सक्रिय तौर पर सम्मिलित न होने के कारण इतना प्रभावी नहीं होता है। चर्चा कीजिये। **(250 शब्द , 15 अंक)**

Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to the absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.

उत्तरः कल्याणकारी योजनाएँ वे योजनाएँ होती हैं, जो व्यक्तियों, समूहों या समुदाय के विकास के लिये निर्मित की जाती हैं। हालाँकि, ऐसा देखा गया है कि इन योजनाओं के माध्यम से लोगों को वितरित किये जाने वाले लाभ प्रशासनिक नियोजन वितरण तंत्र में दोष तथा लक्षित समूहों में जागरूकता की कमी के कारण लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाते।

- यह भी पाया गया है कि रूपरेखा, कार्यान्वयन तथा लोगों की भागीदारी के अभाव में कई कल्याणकारी परियोजनाएँ तथा कार्यक्रम अतीत में विफल रहे हैं।

नीतियों की अक्षमता

- राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर योजनाओं की डिज़ाइन, कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिये दुर्बल व्यावसायिक समर्थन।
- धरातलीय स्थिति, उचित डाटाबेस तथा संसाधन बाधाओं के ज्ञान के अभाव में तकनीकी व गैर-तकनीकी मापदंडों के आधार पर अति यथार्थवादी या अति आशावादी धारणाएँ नीतियों को अंतिम रूप से दुष्प्रभावित करती हैं।
- कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता वाले लोगों की पहचान करने, उनकी आवश्यकताओं का निर्धारण करने, उन्हें संबोधित करने तथा पर्याप्त रूप से सक्षम बनाने का कोई व्यवस्थित प्रयास न होना।
- कमज़ोर नियोजन एवं समन्वयन के कारण भूमि अधिग्रहण के लिये नियामक अधिकारियों से स्वीकृति तथा संसाधनों की खरीद में विलंब।
- पर्यावरण और पुनर्वास पर प्रभावों का अपर्याप्त विश्लेषण।
- वितरण तंत्र की डिज़ाइन में कोई सुसंगत दृष्टिकोण न होना तथा किसी नीति में विभिन्न विकास स्तरों के लिये आवश्यक लचीलेपन का अभाव।
- सख्त समय सीमा का अभाव वित्तीय तंत्र तथा अंतर-एजेंसी सहयोग आदि का अभाव चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
- अधिकांश योजनाएँ एक-दूसरे से असंबंधित होती हैं, जिनमें थोड़ा-बहुत क्षैतिज अभिसरण या ऊर्ध्वाधर एकीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप संघर्ष उत्पन्न होते हैं।
- एक समस्या यह भी है कि नीतियों तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन उनके परिणामों पर नहीं किया जाता है, बजाय इसके वित्त की निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं है कि नीतियाँ उन सभी लोगों तक पहुँचें, जिनके लिये वे निर्मित की गईं हैं।

नीतिगत संरचना की गुणवत्ता तथा नीतियों के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, जितनी कि इच्छित नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये संसाधनों की उपलब्धता। निर्धनता तथा पिछड़ेपन जैसी सामाजिक, आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिये मात्र वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाले निकाय के साथ-साथ लाभान्वित होने वाले लोगों, दोनों को जागरूक होना चाहिये।

प्रश्न: उच्च संवृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं। उन मुद्दों का परीक्षण कीजिये, जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहे हैं। (150 शब्द , 10 अंक)

Despite Consistent experience of high growth, India still goes with the lowest indicators of human development. Examine the issues that make balanced and inclusive development elusive.

उत्तर: आर्थिक विकास की माप सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद द्वारा की जाती है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है। इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत 191 देशों की सूची में 132 वें स्थान पर है।

मानव विकास की कमी के कारण

- **रोज़गार रहित विकास:** चूँकि भारत की वृद्धि सेवाओं (जो कि श्रम प्रधान क्षेत्र नहीं है) के नेतृत्व में है, इसे रोज़गार रहित विकास माना गया है, क्योंकि आर्थिक विकास के समान स्तर के लिये रोज़गार वृद्धि में गिरावट आई है।
- **असमान विकास:** विकास सभी क्षेत्रों और स्थानों में असमान रहा है। उदाहरण के लिये कृषि पिछड़ रही है। भारत और चीन जैसे देशों में कृषि क्षेत्र में भी नीतियों की अपेक्षा अनदेखी की जाती है।
- **जातिवाद:** एक बड़ी कमज़ोरी यह है कि विकास को कई समूहों, विशेषरूप से SC/ST और कमज़ोर वर्ग के लिये पर्याप्त समावेशी नहीं माना जाता है।
- **लैंगिक असमानता:** भारत जैसे अत्यधिक पितृसत्तात्मक देश में, कोई भी भारत से लैंगिक असमानता पर उच्च अंक प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकता है।
- **धन का असमान वितरण:** भारत में सबसे अमीर 10% के पास शेष 90% की तुलना में चार गुना अधिक संपत्ति है। धन के असमान वितरण के कारण गैर-समावेशी विकास और निम्न मानव विकास की स्थिति बनी हुई है।
- **रोज़गारविहीन विकास:** आर्थिक विकास में वृद्धि के साथ, रोज़गार की वृद्धि दर में भी गिरावट आई है। NSSO के अनुसार भारत में वर्तमान बेरोज़गारी 45 वर्षों में सबसे अधिक है।
- **खराब शिक्षा और स्वास्थ्य:** समकक्ष अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर बहुत कम खर्च करता है। भारत शिक्षा पर जीडीपी के 3 प्रतिशत और स्वास्थ्य पर जीडीपी का 1.5 प्रतिशत ही खर्च करता है।
- **कुपोषण:** कई सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, दोनों उच्च बनी हुई हैं। भारतीय बच्चों में कुपोषण, स्टंटिंग, वेस्टिंग इत्यादि की व्यापकता है। महिलाओं के स्वास्थ्य की उपेक्षा एक बड़ा मुद्दा है।

आगे की राह

- शिक्षा में समग्र सुधारों के अलावा, शिक्षा के अधिकार के साथ सीखने के अधिकार को संयुक्त करना होगा।
- आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बढ़ावा देना, जो निवारक देखभाल पर केंद्रित है।
- कठोर श्रम बाज़ार में सुधार करने, बाल श्रम और जबरन श्रम की समस्याओं का समाधान करने और वेतन समानता लाने की आवश्यकता है इत्यादि। सरकार ने मानव पूंजी यानी स्किल इंडिया, स्टार्टअप

इंडिया, आयुष्मान भारत को बढ़ाने के लिये कई योजना शुरू की हैं, किंतु परिणाम अभी भी आशाजनक नहीं है। भारत को मानव विकास के विभिन्न मापदंडों को अलग-अलग और एक साथ संबोधित करने की आवश्यकता है।

2018

प्रश्न: भारत में 'सभी के लिये स्वास्थ्य' को प्राप्त करने के लिये समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप एक पूर्वापेक्षा है। व्याख्या कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

Appropriate local community-level healthcare intervention is a prerequisite to achieve 'Health for All' in India. Explain.

उत्तर: आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी 'सभी के लिये स्वास्थ्य' भारत में एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। इस चुनौती को नियंत्रित करने के लिये निस्संदेह समुचित स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप बहुत मायने रखता है। संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों, 2030 के एजेंडे का एक महत्त्वपूर्ण घटक सभी के लिये स्वास्थ्य कर है।

- गरीबों की स्वास्थ्य समस्याओं को समाप्त करने के लिये सरकार ने कई प्रयास किये हैं, जैसे- 'आयुष्मान भारत', प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का क्रियान्वयन; दिल्ली सरकार द्वारा आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक का संचालन; केंद्र सरकार द्वारा जन औषधि केंद्रों की व्यवस्था करना आदि।
- ये सभी प्रयास स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल को मज़बूत करने के उद्देश्य से महत्त्व रखते हैं।

आयुष्मान भारत
- आवश्यक दवाएँ और नैदानिक सेवाएँ मुफ्त में उपलब्ध।
- मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाओं पर बल।
- 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना।
- प्राथमिक स्तर से लेकर तृतीयक स्तर तक दवाओं की उपलब्धता।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
- चयनित परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ।
- सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में नकदी और पेपरलेस योजना।
- गरीब और कमज़ोर वर्गों पर इलाज के दौरान पड़ने वाले वित्तीय बोझ में कमी।

जन औषधि केंद्र
- वहनीय मूल्य पर गरीबों, अन्य वंचित वर्गों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध कराना।

निष्कर्षत: उपरोक्त प्रयासों के कुशल कार्यान्वयन से सभी के लिये स्वास्थ्य के लक्ष्य की प्राप्ति और सहज हो सकेगी।

प्रश्न: आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि भूख के मुख्य कारण के रूप में खाद्य की उपलब्धता में कमी, पर फोकस भारत में अप्रभावी मानव विकास नीतियों से ध्यान हटा देता है?

(250 शब्द, 15 अंक)

How far do you agree with the view that the focus on lack of availability of food as the main cause of hunger takes the attention away from ineffective human development policies in India?

उत्तर: विश्व में खाद्य और पोषण अवस्था संबंधी रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण के अनुसार, भारत सबसे बड़ी खाद्य असुरक्षित आबादी वाला देश है, किंतु प्रभावी मानव विकास के विधि पक्षों, जैसे- पोषक तत्त्व युक्त खाद्य उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण में से पोषक तत्त्व युक्त खाद्य उपलब्धता का विशेष महत्त्व है।

- भारत में खाद्य उपलब्धता में कमी की बात की जाए तो केवल इसे ही भूख का मुख्य कारण मानना तर्कसंगत नहीं लगता है। वस्तुत: भारत सरकार ने गरीब जनता तक सुगम खाद्य उपलब्धता के लिये कई कदम उठाए हैं।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के ज़रिये कम मूल्य पर खाद्यान्न आपूर्ति, मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के साथ-साथ पोषणयुक्त आहार की व्यवस्था, सरकार के ऐसे ही कुछ महत्त्वपूर्ण प्रयास हैं, लेकिन कुछ स्तरों पर कमियाँ भी उजागर होती हैं, जिससे ये प्रयास प्रभावी रूप से सफल नहीं हो पाते हैं।

कमियाँ
- उन्नत खाद्यान्न भंडारण की कमी
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्तर पर रिसाव (leakage) की समस्या
- बचे हुए भोजन की बर्बादी

अत: इन कमियों को दूर करने की दिशा में नीतिगत प्रबंधन की आवश्यकता है-

- भंडार गृहों की क्षमता और उनकी उन्नतीकरण को बेहतर करना
- रिसाव की समस्या को दूर करने के लिये चुस्त मॉनिटरिंग तंत्र
- भोजन की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिये लोगों में जागरूकता

- हालाँकि, केवल भूख पर काबू पा लेना प्रभावी मानव की दिशा की ओर पहला कदम ही माना जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता की पूर्ति से ही समग्र मानव विकास की ओर फोकस किया जा सकता है।
- इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार, 2010, सार्वभौमिक स्वास्थ्य को महत्त्व देते हुए 'आयुष्मान भारत' और 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के अतिरिक्त स्वच्छ वातावरण के मद्देनज़र वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पर रोकथाम के उपाय भी किये जा रहे हैं।

भारत में प्रभावी मानव विकास नीतियों पर समुचित तौर पर फोकस अवश्य किया जा रहा है, लेकिन भूख जैसे त्वरित और सक्षम निदान के प्रयास करने चाहिये। साथ ही अन्य पक्षों की बेहतर और सटीक व्यवस्था को भी लक्षित रखना चाहिये, क्योंकि समग्र और प्रभावी मानव विकास में इन सभी की उपस्थिति आवश्यक है।

प्रश्न: समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये विभिन्न आयोगों की बहुलता अतिव्यापी अधिकारिता और प्रकार्यों के दोहरेपन की समस्याओं की ओर ले जाती है। क्या यह अच्छा होगा कि सभी आयोगों को एक व्यापक मानव अधिकार आयोग के छत्र में विलय कर दिया जाए? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिये।

(250 शब्द , 15 अंक)

Multiplicity of various commissions for the vulnerable sections of the society leads to problems of overlapping jurisdiction and duplication of functions. Is it better to merge all commissions into an umbrella Human Rights Commission? Argue your case.

उत्तर: भारत में कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा तथा उन्हें शोषण से बचाने के लिये भारत में कई आयोगों का गठन किया गया है। इनमें से कुछ आयोग संवैधानिक हैं (जैसे- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग) तो कुछ सांविधिक हैं, यथा- मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग इत्यादि।

- आयोगों की अधिकता अतिव्यापी अधिकारिता एवं प्रकार्यों के दोहरेपन की समस्या को जन्म देती है।

उदाहरण- यदि एक अनुसूचित जाति की विकलांग महिला के साथ कोई अधिकारी अत्याचार करता है तो वह किस आयोग के समक्ष जाए।

- अत: इन सभी कमज़ोर वर्गों के लिये पृथक् आयोग के स्थान पर केवल मानव अधिकार आयोग एक 'छतरी संगठन' का निर्माण किया जाना चाहिये, जो प्रत्येक वर्ग के लिये प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।

इस विकल्प के विभिन्न सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष–

सकारात्मक पक्ष

- चूँकि, कमज़ोर वर्गों के मानवाधिकारों की सुरक्षा सभी संबद्ध आयोगों की कार्य-सूची में वरीयता क्रम में होती है। अत: मानवाधिकार आयोग इस कार्य को सहजता से पूरा कर सकता है।
- वृद्धजनों, नि:शक्तजनों या फिर तृतीयलिंगी समुदायों के समुचित विकास के लिये संभावित तौर पर पृथक् आयोगों की स्थापना की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- अलग-अलग आयोगों के मध्य कार्य की अतिव्याप्तता की समस्या का निपटारा किया जा सकता है।

नकारात्मक पक्ष

- भारत में कार्यरत् सभी आयोग संबद्ध वर्गों के संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा पर विशेषरूप से ध्यान देते हैं। अत: इन सभी से जुड़े मामलों पर केवल मानवाधिकार आयोग में विचार करना इनके हितों की पूर्ति में व्यवधान ला सकता है।
- सभी कमज़ोर वर्गों की समस्याएँ, उनके उपचार और समाज में इन वर्गों की स्थिति भिन्न-भिन्न है। अत: मानवाधिकार आयोग के लिये इन सब पर एक साथ नियंत्रण पाना एक जटिल कार्य हो सकता है।
- वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सभी महत्त्वपूर्ण आयोगों, जैसे- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आदि के प्रमुखों का प्रतिनिधित्व विद्यमान है। अत: ये सभी प्रमुख अपने-अपने आयोगों से जुड़े मानवाधिकार मुद्दों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष उठाते रहते हैं।

इस प्रकार एक व्यापक मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत सभी आयोगों का विलय करने से बेहतर विकल्प यह हो सकता है कि सभी संबद्ध आयोग अपने कार्यक्षेत्र को इस प्रकार परिभाषित करें ताकि अतिव्यापी अधिकारिता और प्रकार्यों के दोहरेपन की समस्या में कमी लाई जा सके। साथ-साथ एक विकल्प है कि वृद्धजनों, नि:शक्तजनों और तृतीयलिंगी समुदायों के मौलिक अधिकारों एवं मानवाधिकारों से जुड़े मामलों को राष्ट्रीय मानव अधिकार की कार्यपरिधि में (बिना हितों के साथ समझौता किये) ही लाया जाए।

2017

प्रश्न: "जल, सफाई एवं स्वच्छता की आवश्यकता को लक्षित करने वाली नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये लाभार्थी वर्गों को प्रत्याशित परिणामों के साथ जोड़ना होगा।" वाश योजना के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिये। **(150 शब्द , 10 अंक)**

"To ensure effective implementation of policies addressing water, sanitation and hygiene needs the identification of the beneficiary segments is to be synchronized with the anticipated outcomes." Examine the statement in the context of the WASH scheme.

उत्तर: सभी के लिये जल, सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिये यूनिसेफ द्वारा 'वाश' (WASH - Water, Sanitation and Hygiene) योजना की शुरुआत की गई है।

- यह योजना सार्वभौमिक बुनियादी आवश्यकताओं की पहुँच को सुनिश्चित करने हेतु चलाई जा रही है। अत: लाभार्थी वर्गों की पहचान कर उन्हें प्रत्याशित परिणामों के साथ अंतर्संबंधित करना अपेक्षित हो जाता है। योजना को मज़बूती प्रदान करने के लिये "सभी के लिये एक दृष्टिकोण" (One Size Fits to all Approach) पर बल दिया जाता है।

- लाभार्थी की पहचान भौगोलिक और सामाजिक संदर्भ (Geography and Social) के आधार पर आबादी को ग्रामीण, शहरी और निम्न आय समूह में बाँटकर भी की जाती है।
- एक अन्य उपागम, जिसने योजनाकारों और नीति-निर्माताओं को आकर्षित किया है, वह है- मानव जीवन चक्र (Human Life Cycle)। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को किशोर, वयस्क, वरिष्ठ नागरिक आदि में वर्गीकृत किया जाता है।
- गौरतलब है कि 'वाश' के संदर्भ में भौगोलिक सामाजिक संदर्भ के साथ 'मानव जीवन चक्र' को आधार बनाकर प्रत्याशित परिणामों को लाना होगा, क्योंकि इसी के माध्यम से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकेगा।

निष्कर्षत: 'वाश' के तहत लाभार्थियों को चिह्नित कर उन्हें प्रत्याशित परिणामों के साथ जोड़कर ही जल, सफाई और स्वच्छता की पर्याप्त, गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित एवं दक्ष पहुँच सुनिश्चित हो सकेगी।

प्रश्न: क्या नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 समाज में अभीष्ट लाभार्थियों के सशक्तिकरण और समावेशन की प्रभावी क्रियाविधि को सुनिश्चित करता है।

(150 शब्द, 10 अंक)

Does the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 ensure effective mechanism for empowerment and inclusion of the intended beneficiaries in the society?

उत्तर: नि:शक्त व्यक्तियों को समाज में सम्माजनक स्थान दिलाने तथा उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016 पारित किया गया। इस विधेयक में नि:शक्तों के सशक्तिकरण हेतु निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं-

- नि:शक्तों की श्रेणियाँ 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गईं। अब इनमें ऑटिज़्म, सेरेब्रम पाल्सी तथा अन्य मानसिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को स्थान दिया गया है, जिन्हें अब तक नि:शक्तों की श्रेणी में नहीं रखा जाता था।
- निजी कंपनियों को इमारतों में नि:शक्तजनों को आने-जाने के लिये सुविधाएँ उपलब्ध करानी होंगी।
- विधेयक में नि:शक्तजनों को दिये जाने वाले आरक्षण को 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया, जो मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों पर भी लागू होगा।
- अधिनियमित होने के बाद उन्हें एक यूनीवर्सल कार्ड प्रदान किया जाएगा, जो पूरे देश में मान्य होगा। पहले यह केवल स्थानीय स्तर पर ही मान्य था।
- प्रभावी रूप से नि:शक्तों के साथ भेदभाव करने वाले अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

निष्कर्षत: विधेयक के उपर्युक्त प्रावधानों से निश्चित ही नि:शक्तों का सशक्तिकरण होगा, साथ ही एक समरूप समाज का निर्माण भी होगा, जहाँ नि:शक्तजनों को विकास के लिये समान अवसर मिलेंगे और वे समाज की मुख्यधारा में भाग ले सकेंगे।

प्रश्न: "वर्तमान समय में स्वयं-सहायता समूहों का उद्‌भव राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे, परंतु निरंतर पीछे हटने का संकेत है," विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका एवं भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिये किये गए उपायों का परीक्षण कीजिये।

(250 शब्द, 15 अंक)

'The emergence of Self-Help Groups (SHGs) in contemporary times points to the slow but steady withdrawal of the state from developmental activities'. Examine the role of the SHGs in developmental activities and the measures taken by the Government of India to promote the SHGs.

उत्तर: स्वयं सहायता समूह (SHG) कुछ ऐसे लोगों का एक अनौपचारिक संघ होता है, जो अपने रहने की परिस्थितियों में सुधार करने के लिये स्वेच्छा से एक साथ आते हैं।

- वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूहों का उद्‌भव इस बात की ओर इशारा करता है कि ग्रामीण इलाकों की विकासात्मक गतिविधियों में राज्य की भूमिका उतनी प्रभावी नहीं है, जितनी अपेक्षित है।

विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका

- हाशिये पर मौजूद जनसंख्या के एक बड़े वर्ग को गरीबी व बेरोज़गारी से बाहर निकालकर समाज की मुख्य धारा में लाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब भूमिहीन लोगों तक सूक्ष्म वित्त की पहुँच सुनिश्चित करना।
- महिलाओं को वैकल्पिक रोज़गार के लिये प्रशिक्षित करना और अवसर उपलब्ध कराना।
- स्वयं-सहायता समूह ग्रामीण निर्धनों की ऋण ज़रूरतों की पूर्ति के लिये पूरक ऋण नीतियाँ बनाने के साथ-साथ बैंकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा बचत व ऋण के लिये सहयोग करते हैं।
- ये गरीब महिलाओं को लघु वित्त की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें संभावित बैंकिंग सेवा में जोड़ने का प्रयास करते हैं।

सरकार द्वारा स्वयं-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिये किये गए उपाय-

- 'स्वर्ण जयंती स्वरोज़गार योजना' के अलावा उग्रवाद प्रभावित ज़िलों में स्वयं-सहायता समूह द्वारा बैंक सहबद्धता कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
- नाबार्ड द्वारा स्वयं-सहायता समूहों के माध्यम से गरीब महिलाओं को संगठित सेवा से जोड़ने का प्रयास किया गया।
- कुछ राज्यों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न समितियों में स्वयं-सहायता समूह के सदस्यों का समावेश अनिवार्य बनाया गया।
- महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को आसान दर पर ऋण की उपलब्धता।

प्रश्नः अब तक की भूख और गरीबी भारत में सुशासन के समक्ष बड़ी चुनौतियाँ हैं। मूल्यांकन कीजिये कि इन भारी समस्याओं से निपटने में क्रमिक सरकारों ने किस सीमा तक प्रगति की है। सुधार के लिये उपाय सुझाइये। (150 शब्द , 10 अंक)

Hunger and Poverty are the biggest challenges for good governance in India still today. Evaluate how far successive governments have progressed in dealing with these humongous problems. Suggest measures for improvement.

उत्तरः वैश्विक विकास सूचकांक-2022 में भारत 107वें स्थान पर है। साथ ही भारत में अत्यधिक गरीबी की स्थिति में वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2019 में 12.3% अंक की कमी आई, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते 7.1 करोड़ गरीबों की वृद्धि हुई, जिनमें से कम-से-कम 33% भारत में थे।

- आज़ादी के समय भूख और गरीबी में भारत की स्थिति और भी दयनीय थी। स्वतंत्रता के बाद से अब तक सरकारों ने विभिन्न प्रयासों के माध्यम से गरीबी व भुखमरी की इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया है। इन प्रयासों का मूल्यांकन निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है।

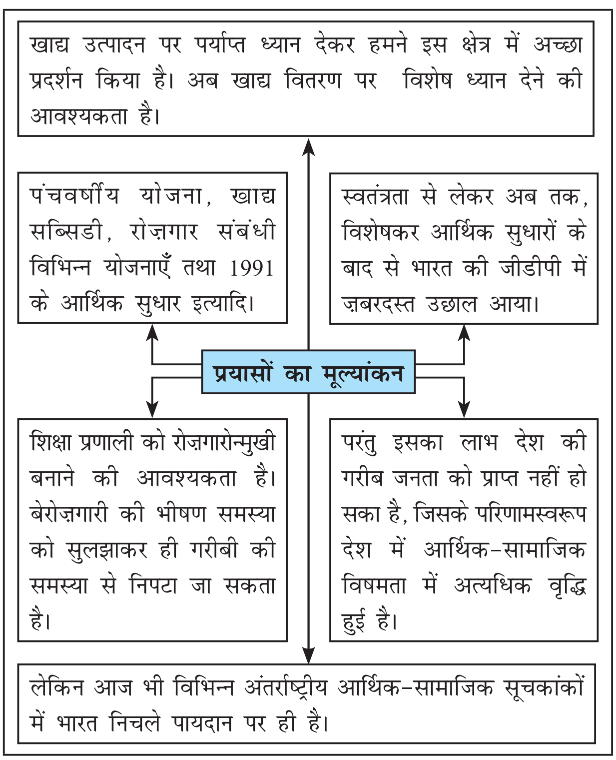

स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, जन-धन योजना, मनरेगा आदि प्रयासों की सफलता में भूख व गरीबी की समस्या का समाधान छिपा हुआ है।

प्रश्नः "भारत में निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रम तब तक केवल दर्शनीय वस्तु बने रहेंगे, जब तक कि उन्हें राजनीतिक इच्छाशक्ति का सहारा नहीं मिलता है।" भारत में प्रमुख निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रमों के निष्पादन के संदर्भ में चर्चा कीजिये। (150 शब्द , 10 अंक)

"Poverty alleviation programmes in India remain mere showpieces until and unless they are backed up by political will". Discuss with reference to the performance of the major poverty alleviation programmes in India.

उत्तरः स्वतंत्रता के बाद से ही गरीबी उन्मूलन के साथ-साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना सरकार का प्रमुख लक्ष्य रहा है। इस संदर्भ में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया, जिससे लोगों को गरीबी के दुःष्चक्र से बाहर निकाला जा सके।

- हालाँकि, आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में वे कार्यक्रम अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सके। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएँ, जैसे- राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, जननी सुरक्षा जैसी योजनाएँ भ्रष्टाचार और समन्वय की कमी से सकारात्मक परिणाम देने में उतना सफल नहीं रही हैं।
- निर्धनता न्यूनीकरण के तहत सरकार द्वारा महसूस किया गया कि मूलभूत आवश्यकताओं, जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि को पूरा करने से गरीबी को कम किया जा सकता है।
- इस संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इंदिरा आवास योजना, मिल-डे मील स्कीम आदि विभिन्न काय्रक्रमों को लागू किया गया, लेकिन इनमें भी सब्सिडी के रिसाव तथा झूठे आँकड़ों की प्रस्तुति से बड़ी संख्या में लाभार्थी वंचित रहे हैं।
- हाल ही में जारी कैग (CAG) की रिपोर्ट पहले की सरकार तथा वर्तमान सरकार, दोनों के संदर्भ में नकारात्मक ही है। रिपोर्ट में इस बात का ज़िक्र है कि किस प्रकार योजनाओं के लिये आवंटित धन बिना खर्च हुए बड़ी मात्रा में केंद्र को वापस भेजा जा रहा है।
- कौशल विकास योजना के बारे में भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं जिसमें लाभार्थियों तथा अवसंरचना के बिना ही बड़ी मात्रा में धन का दुरुपयोग किया गया। इंदिरा आवास योजना के मूल्यांकन से पता चलता है कि इससे कई बीपीएल परिवारों को पक्के घर मिले हैं, इसके बावजूद इसमें बड़ी संख्या में लाभार्थियों की जगह गैर-लाभार्थियों को लाभ मिला है।
- केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता के साथ-साथ अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिये पर्याप्त मात्रा में ध्यान दे रही हैं, जिससे गरीबी के क्षमता निर्माण और कल्याण को बेहतर बनाया जा सके।

अतः हम कह सकते हैं कि गरीबी कम करने के लिये केवल कार्यक्रमों या योजना को बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिये लक्षित कार्यक्रमों को नियोजित ढंग से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, जिसके लिये राजनीतिक इच्छाशक्ति का होना आवश्यक है।

2016

प्रश्नः प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सुधारों की वकालत की है। उनकी स्थिति और कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु आपके क्या सुझाव हैं? (200 शब्द, 12½ अंक)

Professor Amartya Sen has advocated important reforms in the realms of primary education and primary health care. What are your suggestions to improve their status and performance?

उत्तरः नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने ज्यां ट्रेज़ के साथ मिलकर लिखी पुस्तक 'An uncertain Glory : India and its contradictions' में कहा है कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है, जो अशिक्षित और अस्वस्थ कामगारों के साथ वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की इच्छा रखता है।

- वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर भारत के लगभग 95 प्रतिशत बच्चों का स्कूल में दाखिला हो चुका है, परंतु 'प्रथम' नामक एनजीओ की रिपोर्ट तथा कई स्टिंग ऑपरेशन देश में स्कूल, शिक्षक एवं शिक्षार्थियों की गुणवत्ता की सच्चाई उजागर करते हैं। यही हाल निजी स्कूलों का भी है।
- यद्यपि भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज़ादी से अब तक काफी तरक्की की है, परंतु कुपोषण, टीकाकरण का अभाव तथा संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (SDG), स्वास्थ्य प्रदर्शन में भारत का भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड आदि देशों से भी पीछे होना, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में देश की बदहाली को दर्शाता है।
- अमर्त्य सेन ने कई विकसित एवं विकासशील देशों के साथ-साथ केरल का भी उदाहरण दिया है, जिसने शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर व्यय करके लोगों को समर्थ बनाने का प्रयास किया, जो उसके विकास का प्रमुख आधार है।

प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव

- यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्राथमिक शिक्षा में सरकार का बजट अत्यंत कम है। सभी के लिये गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को पाने के लिये इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।
- प्राथमिक शिक्षा में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की नामांकन दर कम है। ठीक करने के लिये महिला शिक्षकों की नियुक्ति एवं लड़कियों के लिये अलग शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा की समस्याएँ एवं समाधान अलग-अलग होते हैं, इसलिये कोठारी आयोग ने प्रत्येक ज़िले में स्कूल बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया था, जो कि उस क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये पूरी तरह ज़िम्मेदार होगा।
- स्कूलों को हटाने की जगह समझाने की पद्धति पर ज़ोर एवं परंपरागत पद्धति की शिक्षा प्रणाली की जगह आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने पर ज़ोर देना चाहिये।
- तदर्थ शिक्षकों की जगह स्थायी शिक्षकों को नियुक्त करना चाहिये। शिक्षकों के गैर-शिक्षा कार्य, जैसे- विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों में भाग लेना, जनगणना के आँकड़े एकत्र करना इत्यादि पर रोक लगनी चाहिये।
- शिक्षकों की भर्ती के साथ उनके प्रशिक्षण पर भी ज़ोर दिया जाए। प्रशिक्षण में निश्चित मानक पूरे करने पर ही उनकी शिक्षक पद पर नियुक्ति होनी चाहियें।
- प्राथमिक विद्यालयों की अवसंरचना में भी सुधार किया जाना चाहिये। स्कूलों की अपनी स्थायी बिल्डिंग, पेयजल की उचित व्यवस्था इत्यादि मूलभूत सुविधाएँ प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में होनी चाहिये।

स्वास्थ्य के क्षेत्रा में सुधार हेतु सुझाव

- भारत अपनी GDP का मात्र 1.2 प्रतिशत ही स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करता है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के ड्राफ्ट में इसे 2.5 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया गया था।
- डॉक्टर, नर्स एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या एवं गुणवत्ता में वृद्धि।
- स्वास्थ्य की एक संपूर्ण समझ विकसित करना, जिसमें स्वच्छ जल, पोषक आहार, स्वच्छता तथा मल प्रबंधन इत्यादि शामिल हैं।
- भारत की अधिकतम आबादी ग्रामीण है, इस कारण ग्राम पंचायत में पर्याप्त बेड सुविधा एवं स्वाथ्यकर्मी वाले एक अस्पताल की उपलब्धता अनिवार्य।
- सस्ती दवा की उपलब्धता तथा ज़रूरतमंदों तक उनकी पहुँच।

उपर्युक्त कार्यों हेतु बजट आवंटन में वृद्धि की जा सकती है, निजी क्षेत्रों का सहयोग लिया जा सकता है तभी स्वस्थ एवं शिक्षित भारत विश्व महाशक्ति बनने की इच्छा पूर्ण कर सकेगा।

प्रश्न. "भारत में जनांकिकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा, जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती।" सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोज़गार-योग्य बनने की क्षमता में वृद्धि के लिये कौन-से उपाय किये हैं? (200 शब्द, 12½ अंक)

"Demographic Dividend in India will remain only theoretical unless our manpower becomes more educated, aware, skilled and creative." What measures have been taken by the government to enhance the capacity of our population to be more productive and employable?

उत्तरः जनांकिकीय लाभांश से तात्पर्य जनसंख्या की कार्यशील आबादी (15-64 वर्ष) का आश्रित आबादी (15 वर्ष से कम एवं 64

वर्ष से अधिक) होना है। यह स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि कर उसके विकास में तेज़ी लाती है, क्योंकि युवा आबादी में कार्यक्षमता, कुशलता, नवोन्मेष की प्रवृत्ति बेहतर होती है।

भारत आज जनांकीय लाभांश की स्थिति में है, परंतु हमारा देश अपनी इस आबादी से तब तक लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, जब तक कि यह आबादी वर्तमान अर्थव्यवस्था की मांग हेतु आवश्यक कौशल ज्ञान से युक्त न हो।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में तेज़ वृद्धि के बावजूद उच्च गुणवत्तापूर्ण रोज़गार के अवसर उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। रोज़गार वृद्धि की इस धीमी दर के कारण ही अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग मौजूदा विकास को रोज़गारविहीन विकास की संज्ञा देता है।

रोज़गारविहीन ये युवा अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिये समाज विरोधी अनैतिक कार्यों, जैसे- ड्रग्स व्यापार, चोरी, लूट, अपहरण जैसी घटनाओं में सम्मिलित हो सकते हैं अथवा देश-विरोधी गतिविधियों, जैसे- आतंकवाद, उग्रवाद का रास्ता पकड़ सकते हैं। एक अन्य स्थिति में ये मानसिक अवसाद की समस्या का भी शिकार हो सकते हैं।

भारत में चीन, दक्षिण कोरिया, जापान एवं जर्मनी की तुलना में काफी कम संख्या में लोगों के पास किसी औपचारिक औद्योगिक कौशल का प्रशिक्षण है। इस स्थिति में वैश्विक अर्थव्यवस्था का लाभ उठाना संभव नहीं है।

एक विशाल जनसांख्यिकी लाभांश के बावजूद भारत शिक्षा, कौशल और सुविधाओं की कमी के कारण अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पा रहा है।

सरकार ने जनसांख्यिकी लाभांश के लाभों के उपयोग के लिये कौशल विकास के महत्त्व को देर से मान्यता दी है। इस दिशा में सरकार के कुछ उल्लेखनीय कदम निम्नलिखित हैं–

- लगभग एक दशक से भारत में कौशल विकास कार्यक्रम में तेज़ी आई है। सरकार निजी क्षेत्र तथा स्वयं सहायता समूह और NGOs, कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित कर रही है।
- सरकार कौशल विकास मंत्रालय के गठन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) की स्थापना, अप्रैंटिस कानून में सुधार, प्रशिक्षुओं की नियुक्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रम के निरीक्षण हेतु संस्था, प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण के उपरांत नियोजन, नियोजन न होने की स्थिति में स्वयं के कारोबार को प्रारंभ करने हेतु ऋण सुविधा, भारत के परंपरागत कौशल को बनाए रखने एवं उसे निखारने हेतु योजनाएँ, साथ ही महिलाओं हेतु विशेष योजनाएँ आदि माध्यमों से कौशल विकास को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।

भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएँ एवं पहल–

भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएँ एवं पहल

- राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन
  - पूर्व-अधिगम की मान्यता
  - उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिये शिक्षुता और कौशल योजना/श्रेयस
  - प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन
  - पंडित दीनदयाल उपाध्याय पारंपरिक ग्रामीण कौशल योजना
- पीएम कौशल विकास योजना (4.0)
- डिजिटल इंडिया मिशन
- उस्ताद योजना (पारंपरिक कौशल के संरक्षण एवं विकास हेतु)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति
- डिजी-सक्षम पहल
- युवा प्लेटफॉर्म
  - नई रोशनी योजना (अल्पसंख्यक समूह की महिलाओं के लिये।)
- इंडिया स्किल्स 2021

उपरोक्त कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से सरकार जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, जिससे कि एक सतत्, समृद्ध एवं समावेशी भारत का विकास हो सके।

2015

प्रश्न: यद्यपि भारत में निर्धनता के अनेक विभिन्न प्राक्कलन किये गए हैं, तथापि सभी समय गुज़रने के साथ निर्धनता स्तरों में कमी आने का संकेत देते हैं। क्या आप सहमत हैं? शहरी एवं ग्रामीण निर्धनता संकेतकों के उल्लेख के साथ समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

Though there have been several different estimates of poverty in India, all indicate reduction in poverty levels over time. Do you agree? Critically examine with reference to urban and rural poverty indicators.

उत्तर: गरीबी वह **सामाजिक-आर्थिक** स्थिति है, जिसमें व्यक्ति भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी **मूलभूत** आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं कर पाता है। भारत में गरीबी एक प्रमुख समस्या है, जिसके निराकरण व मापन में हुई प्रगति के आकलन हेतु कई आयोग व समितियाँ गठित किये गए। इन आयोगों द्वारा निर्धारित की गई गरीबी मापन की विधि एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आँकड़ों के आधार पर आयोग गरीबी का आकलन करता था।

प्रो. सुरेश तेंदुलकर एवं रंगराजन समिति के गरीबी आकलन से संबंधित आँकड़े भारत में गरीबी कम होने की बात करते हैं, किंतु दोनों की प्राक्कलन विधि में भिन्नता के कारण दोनों के गरीबी संबंधी आँकड़ों में भी भिन्नता है–

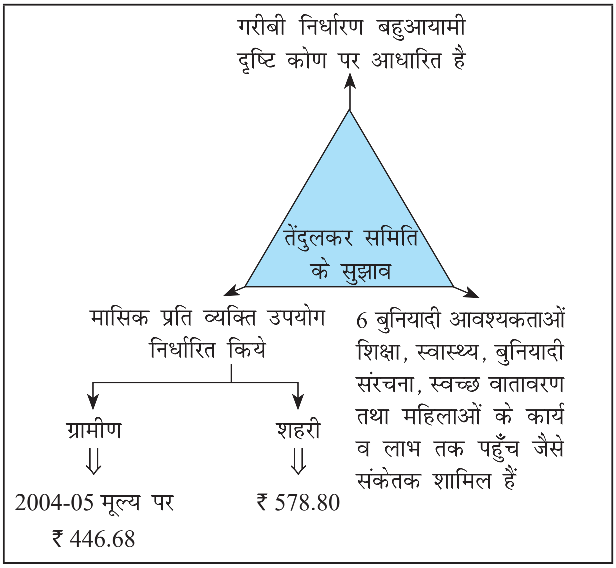

गरीबी निर्धारण की प्रक्रिया में आगे चलकर सी. रंगराजन की अध्यक्षता में समिति गठित की गईं, जिसकी सिफारिशें निम्नलिखित हैं–

रंगराजन समिति के सुझाव

- ग्रामीण क्षेत्रों में ₹ 972 तथा शहरी क्षेत्रों में ₹ 1407 प्रति व्यक्ति मासिक उपयोग गरीबी रेखा तय
- ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिये अलग-अलग बास्केट का निर्धारण
- पोषण, वस्त्र, मकान किराया, शिक्षा तथा अन्य और गैर-खाद्य वस्तुओं के व्यय शामिल
- कमेटी ने कैलोरी, प्रोटीन, वसा की आई.सी.एम.आर. के मानकों पर गणना की
- ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों के लिये क्रमश: 2155 किलो तथा 2090 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ऊर्जा आवश्यकता शामिल

इस संदर्भ में विभिन्न संगठनों/समितियों ने गरीबों की संख्या का निर्धारण निम्न प्रकार से किया है–

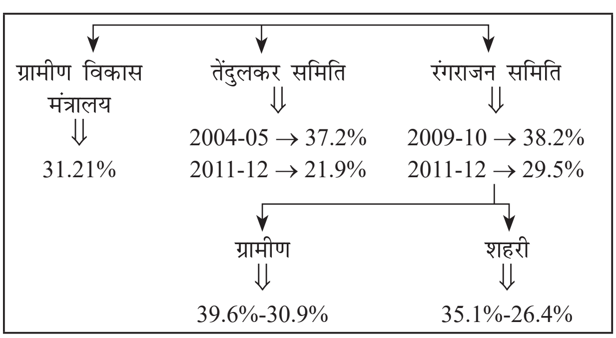

उपरोक्त आँकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि भारत में गरीबों की संख्या कम हुई है, किंतु गरीबी का आकलन मात्र उपभोग व्यय पर करने से सही तस्वीर नहीं उभरती है। हालाँकि, रंगराजन समिति ने सर्वे में खाद्य वस्तुओं, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरतों को शामिल किया था, किंतु इन बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता व उपलब्धता संतोषजनक नहीं है तथा कुपोषण अशिक्षा आदि समस्याएँ प्रमुख चुनौती बनी हुई हैं। शिक्षा की कमी, रोज़गार का अभाव आदि ने गरीबी की समस्या को और गंभीर बना दिया है।

प्रश्न: आत्मनिर्भर समूह (SHG), बैंक अनुबंधन कार्यक्रम (SBLP) जो कि भारत का स्वयं का नवाचार है निर्धनता, न्यूनीकरण और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों में एक सर्वाधिक प्रभावी कार्यक्रम साबित हुआ है। सविस्तार स्पष्ट बताइये।

(200 शब्द , 12½ अंक)

The Self-Help Group (SHG) Bank Linkage Programme (SBLP), which is India's own innovation, has proved to be one of the most effective poverty alleviation and women empowerment programme. Elucidate.

उत्तर: कमज़ोर एवं असंगठित क्षेत्र को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से 1992 में नाबार्ड द्वारा 'बैंक स्वयं सहायता समूह लिंकेज कार्यक्रम' शुरू किया गया, इसके अंतर्गत आत्मनिर्भर समूह अपना बचत खाता खुलवाकर अपने प्रोजेक्ट के लिये ऋण प्राप्त कर सकते थे।

SBLP निम्नलिखित समस्याओं के उपचार हेतु शुरू किया गया था–

SBLP शुरू करने का कारण

- रोज़गार का अभाव
- भारत में गरीबी एवं बेरोज़गारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है
- वित्तीय समावेशन का अभाव
- ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में स्वयं के व्यवसाय के लिये वित्त की सीमित उपलब्धता
- गरीब वर्ग तक ऋण की सहज पहुँच की कमी
- इसके अंतर्गत आत्मनिर्भर समूह बैंक में अपना बचत खाता खुलवाकर, अपने प्रोजेक्ट के लिये ऋण प्राप्त कर सकते थे

इस कार्यक्रम के संचालन से सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, जो निम्नलिखित हैं–

SBLP के सकारात्मक परिणाम

- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है
- संस्थागत ऋणों में वृद्धि, पुनर्प्राप्ति में वृद्धि के माध्यम से बेहतर परिणाम
- गरीबों की आय में वृद्धि
- महिलाओं द्वारा अर्जित आय ने उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया।
- महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार
- गैर-संस्थागत ऋण व्यवस्था, साहूकारी प्रथा तथा अन्य शोषणकारी ऋण प्रणालियों से मुक्ति
- महिलाओं की भागीदारी में उत्साहजनक वृद्धि

  गरीब वर्ग तक ऋण की सहज पहुँच सुनिश्चित हुई है

स्पष्टत: यह कहना उचित होगा कि आत्मनिर्भर समूह बैंक अनुबंधन कार्यक्रम के तहत कम दर पर, सहज तरीके से ऋण प्रदान कर गरीबों के लिये आजीविका के स्थायी और सतत् अवसरों के सृजन में मदद मिली है, परंतु इसकी कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे- गैर-निष्पादित ऋणों की बढ़ती मात्रा, नियमित मीटिंग का अभाव, वित्तीय साक्षरता का अभाव आदि, जिसके समुचित समाधान की आवश्यकता है।

प्रश्न: भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिये उसमें भारी सुधारों की आवश्यकता है। क्या आपके विचार में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं का प्रवेश देश में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता की प्रोन्नति में सहायक होगा? चर्चा कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

The quality of higher education in India requires major improvements to make it internationally competitive. Do you think that the entry of foreign educational institutions would help improve the quality of higher and technical education in the country? Discuss.

उत्तर: सामान्य शिक्षा के ऊपर किसी विषय-विशेष एवं विषयों में विशेष शिक्षा जो विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक विश्वविद्यालयों एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि के द्वारा दी जाती है, को उच्च शिक्षा कहा जाता है। भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था विश्व में अमेरिका व चीन के बाद तीसरे नंबर पर आती है, फिर भी गुणवत्ता में शीर्ष 100 में एक भी भारतीय संस्थान अपनी जगह नहीं बना पाया है।

भारत में उच्च शिक्षा की अच्छी स्थिति न होने के निम्नलिखित कारण हैं–

भारतीय उच्च शिक्षा की सीमाएँ

- उच्च शिक्षा में नामांकन दर अत्यंत कम
- उच्च शिक्षण संस्थानों में मानव संसाधन की अत्यंत कमी
- शोध कार्यों का स्तर अत्यंत निम्न है
- इन संस्थानों में स्वायत्तता की कमी है
- वैश्विक परिदृश्य अनुरूप पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं
- उच्च शिक्षा में दूषित परीक्षा प्रणाली

भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिये विदेशी शिक्षण संस्थानों को प्रवेश देने की मांग की जा रही है, जिससे निम्नलिखित लाभ प्राप्त होने की संभावना है–

विदेशी शिक्षा संस्थानों के प्रवेश से लाभ

- उच्च शिक्षा में अच्छे संस्थानों की कमी पूरी होगी
- उच्च शिक्षण संस्थानों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होगा
- अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक सहयोग से प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे
- अध्ययन के लिये विदेश जाने वाले छात्रों को अपने यहाँ रोक
- कर विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी
- शिक्षा एवं शोध की गुणवत्ता सुधरेगी
- भारतीय संस्थाओं को अपने स्तर को निखारने की प्रेरणा मिलेगी

परंतु एक वर्ग भारत में विदेशी संस्थाओं के प्रवेश का विरोध करता है, क्योंकि–

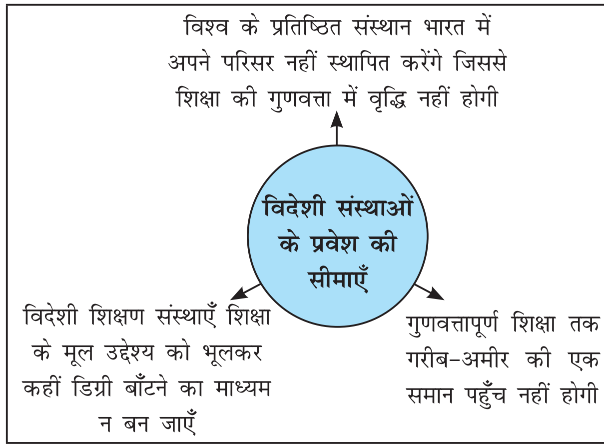

अत: यह सच है कि भारत में विदेशी शैक्षणिक संस्थानों के आगमन से कई लाभ होने की संभावना है, किंतु साथ ही कई नकारात्मक आशंकाओं को भी जन्म देता है। हालाँकि, शिक्षा के क्षेत्र में नियामक संस्थाओं को मज़बूत कर स्कूली शिक्षा को स्तरीय बनाकर एवं शिक्षा के बजट में वृद्धि द्वारा भारत की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सकेगा।

प्रश्न: सार्विक स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अपनी परिसीमाएँ हैं। क्या आपके विचार में खाई को पाटने में निजी क्षेत्रक सहायक हो सकता है? आप अन्य कौन-से व्यवहार्य विकल्प सुझाएंगे? (200 शब्द, 12½ अंक)

Public health system has limitations in providing universal health coverage. Do you think that the private sector could help in bridging the gap? What other viable alternatives would you suggest?

उत्तर: सभी लोगों की पर्याप्त रूप से प्रभावी, गुणवत्तायुक्त, आवश्यक प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक एवं पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कहलाती है, किंतु तीव्र आर्थिक विकास के पश्चात् भी भारत में स्वस्थ जीवन शैली, पोषक तत्त्वों, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता आदि के अभाव में उपजी स्वास्थ्य समस्याएँ प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जो निम्नलिखित हैं-

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की समस्याएँ

- अवसंरचनात्मक और बुनियादी सुविधाओं की अपर्याप्तता
- स्वास्थ्य खर्च में आउट-ऑफ पॉकेट व्यय का अधिक होना
- अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं और चिकित्सा उत्पादों का महँगा होना
- डिजिटल स्वास्थ्य और अभिनव प्रौद्योगिकियों तक पहुँच का अभाव
- दक्ष एवं योग्य मानव संसाधन की कमी
- GDP का 2% से भी कम खर्च स्वास्थ्य के क्षेत्र में
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर अत्यधिक बोझ

उपरोक्त सीमाओं को ध्यान में रखकर अगर निजी क्षेत्रक को स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए तो निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न होंगे–

सकारात्मक प्रभाव

- आधुनिक प्रौद्योगिकी
- विकसित संरचनात्मक ढाँचा
- कुशल मानव संसाधन
- त्वरित इलाज

नकारात्मक प्रभाव

- चिकित्सा सेवाएँ महँगी होंगी
- गरीबों की चिकित्सा से दूरी
- दूर-दराज़ क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था में कमी
- स्वास्थ्य के अधिकार में बाधा होगी

निजी क्षेत्र के नकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य व्यावहारिक उपाय किये जा सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं–

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुधारने के उपाय

- → दवाइयों की मूल्यवृद्धि एवं वितरण पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक
- → कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी के तहत प्राप्त धन का प्रयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में
- → निजी अस्पतालों में वंचित वर्गों के लिये कुछ कोटा तय हो
- → दूरस्थ क्षेत्रों में टेली मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराना
- → स्वच्छ जल की सुनिश्चितता से रोगों की रोकथाम
- → स्वच्छता व योग जैसी विधियों को बढ़ावा देना
- → स्वास्थ्य बीमा व अन्य सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं का प्रचार-प्रसार
- → जेनेरिक दवाईयाँ व जन औषधि केंद्र को बढ़ावा

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक आमजन की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्र एक बेहतर विकल्प है, किंतु इससे उत्पन्न होने वाली सीमाओं से एक बड़ी आबादी स्वास्थ्य पहुँच से दूर हो जाएगी। इसलिये स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर निजी क्षेत्रों तक इसका विस्तार करना चाहिये। इस संबंध में राजस्थान अपने नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य बना है, जो एक सराहनीय कदम है।

2014

प्रश्न: ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में भागीदारी को प्रोन्नति करने में स्वावलंबन समूहों (S.H.G) के प्रवेश को सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षण कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

The penetration of Self-Help Groups (SHGs) in rural areas in promoting participation in development programmes is facing socio–cultural hurdles. Examine.

उत्तर: स्वयं सहायता समूह (S.H.G) एक ऐसा समूह होता है, जो एक-दूसरे की सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य व अन्य समस्याओं को हल करने में सहायता के लिये बनाया जाता है। S.H.G लोगों की समस्याओं के निपटारे में किसी पर निर्भर नहीं रहता, अपितु स्वयं समस्याओं से निपटने के उपाय ढूँढ़ता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में S.H.G की भागीदारी को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है–

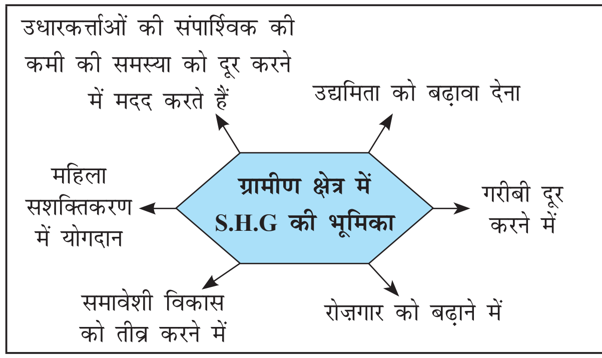

उपरोक्त प्रभावी भूमिकाओं के बावजूद भी S.H.G. की भागीदारी को निम्नलिखित सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है–

सामाजिक बाधाएँ	सांस्कृतिक बाधाएँ
❑ गरीबी एक बड़ी रुकावट है।	❑ जाति-धर्म की बाधाएँ।
❑ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक आय समानता।	❑ लिंग विभेद की स्थिति।
❑ जीविकोपार्जन को संकट के कारण SHG में कम भागीदारी।	❑ S.H.G उच्च जाति के कुछ रूढ़िवादी लोगों की आँखों की किरकिरी बना हुआ है।
❑ साक्षरता का निम्नतम स्तर।	❑ ग्रामीण समाज में रूढ़िवादी सोच।
❑ कौशल प्रशिक्षण का अभाव।	❑ पितृसत्तात्मक समाज।
❑ S.H.G तक सीमित पहुँच।	

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि S.H.G जहाँ एक ओर ग्रामीण तबके की महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक उन्नति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो वहीं सरकारी कार्यक्रमों में पारदर्शिता व दक्षता लाने में भी इसकी महती भूमिका है, साथ ही यह हमारे समाज को महात्मा गांधी की कल्पना के अनुसार स्वशासन के करीब लाएगा।

प्रश्न: क्या कमज़ोर और पिछड़े समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा उनकी उन्नति के लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती हैं? (200 शब्द, 12½ अंक)

Do government's schemes for up-lifting vulnerable and backward communities by protecting required social resources for them, lead to their exclusion in establishing businesses in Urban economies?

उत्तर: अनुसूचित जातियाँ/अनुसूचित जनजातियाँ, महिलाएँ व बच्चे आदि कमज़ोर व पिछड़े वर्ग के रूप में जाने जाते हैं। राज्य नीति-निर्देशक के प्रावधानों को ध्यान में रखकर इन वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है, जिनके माध्यम से रोज़गार, आवास एवं खाद्यान्न को सुरक्षा देने की कोशिश की गई है।

परंतु जहाँ तक शहरी क्षेत्र में कृषि से इतर व्यवसाय में इनके प्रतिनिधित्व का सवाल है तो इसमें इन पिछड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम रहा है, जैसे–

- अनुसूचित जाति की आबादी देश की कुल आबादी का लगभग 17% है।
- कृषि से इतर व्यवसायों में उनकी भागीदारी व्यवसाय मालिक के तौर पर लगभग 9.5% है।
- अनुसूचित जनजाति की आबादी कुल आबादी का लगभग 9% है, किंतु व्यावसायिक कार्यों में मालिकाना भागीदारी सिर्फ लगभग 3.5% है।

इस पिछड़ेपन का एक कारण सरकारी योजनाएँ भी हो सकती हैं जो कमज़ोर, पिछड़े एवं वंचित विशेष की प्रेरणा को कुंठित करती हैं, किंतु इनके अलावा अन्य कई कारक हैं, जो शहरी व्यवसाय हेतु आवश्यक हैं व वे किसी-न-किसी कारण से इन समुदायों को प्राप्त नहीं है, जैसे–

- व्यापार हेतु आवश्यक ऋण की उपलब्धता का न होना।
- उद्यमशीलता का अभाव।
- उपयुक्त कौशल का अभाव।
- साथ ही व्यापारी वर्ग में जातीयता की भावना उद्यमशीलता हेतु आवश्यक आत्मविश्वास में कमी लाती है।

स्पष्टत: कहा जा सकता है कि संबंधित समुदायों के शहरी अर्थव्यवस्था में योगदान को आगे बढ़ाने में वित्तीय तकनीकी व शैक्षिक कारकों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। इसके निदान हेतु स्वनिधि जैसी योजनाएँ कारगर साबित हो सकती हैं।

प्रश्न: खिलाड़ी ओलंपिक्स में व्यक्तिगत विजय और देश के गौरव के लिये भाग लेता है, वापसी पर विजेताओं पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा नगद प्रोत्साहनों की बौछार की जाती है। प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कार कार्य विधि के तर्काधार के मुकाबले, राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज और उसके पोषण के गुणावगुण पर चर्चा कीजिये। **(200 शब्द, 12½ अंक)**

An athlete participates in Olympics for personal triumph and nation's glory; victors are showered with cash incentives by various agencies, on their return. Discuss the merit of state sponsored talent hunt and its cultivation as against the rationale of a reward mechanism as encouragement.

उत्तर: राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज तथा विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाले पुरस्कार राशि एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के दो महत्त्वपूर्ण रास्ते हैं, परंतु दोनों की उत्पादकता एवं प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता में काफी अंतर है।

भारत में विजेताओं के ऊपर पुरस्कार की राशि का अनुपात अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है। सच तो यह है कि अन्य देशों के स्वर्ण पदक विजेताओं से भारत का कांस्य पदक विजेता अधिक पुरस्कार राशि प्राप्त करता है (देश में सम्मान के तौर पर)। यह पुरस्कार राशि खेल के प्रति आकर्षण बढ़ाने का कार्य करती है। परंतु पी.वी. सिंधु, साइना नेहवाल, सुशील कुमार, अभिनव बिंद्रा जैसे कई अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ी, जो भारत के लिये ओलंपिक्स में पदक ला सकते हैं, सरकार प्रायोजित प्रतिभा खोज में कमियों, अन्य सुविधाओं के अभाव तथा जीवन की मूलभूत आवश्यकता की प्राप्ति के प्रयास में, असीम प्रतिभा होने के बाद भी कहीं खो जाते हैं।

भारत में खेलों के क्षेत्र में उचित विकास नहीं होने का मूलभूत कारण खेल संस्कृति एवं सुविधाओं का अभाव है। भारत में प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक खेल को बढ़ावा देने के लिये बहुत ही कम संस्थाएँ कार्यरत् हैं। ये संस्थाएँ भी प्रारंभिक स्तर पर खेलों के विकास के लिये न्यूनतम धनराशि व्यय करती हैं। इन संस्थाओं का ध्यान केवल पदक विजेता खिलाड़ियों की प्रसिद्धि का लाभ लेकर अपनी संस्था की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में ही होता है। प्रतिभा खोज कार्यक्रम तथा चयनित खिलाड़ियों के प्रशिक्षण एवं पोषण स्तर पर कम ध्यान दिया जाता है। इन संस्थाओं का दायरा सीमित होता है, यह केवल बड़े शहरों पर ही ध्यान केंद्रित करती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति उदासीन रहती हैं। उपर्युक्त स्थिति में यह भी बतलाया जाता है कि राज्यों के पास वित्त की समस्या है, लेकिन अगर पदक विजेता खिलाड़ी को मिलने वाली धनराशि से तुलना करें तो यह पता चलता है कि वित्त की समस्या नहीं है।

राज्य प्रतिभा खोज के उपरोक्त नकारात्मक तथ्यों को छोड़ दिया जाए तो इस कार्यक्रम के कुछ गुण भी हैं। यह खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिये प्रोत्साहित करती है। यह खिलाड़ियों की प्रतिभा के अनुसार उनको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविधाओं को उपलब्ध कराकर उनको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिये तैयार करती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के सम्मिलित प्रयास से खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशा जाता है, उन्हें खेल हेतु आवश्यक ढाँचागत सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, कोच प्रदान किये जाते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सब कार्य किसी व्यक्ति विशेष को पुरस्कार प्रदान कर देने से संभव नहीं हैं। सिर्फ दो-चार विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार में बड़ी राशि देकर समूचे शहर अथवा गाँव की खेल-प्रतिभा को निखारना मुश्किल है। सरकारी प्रयासों से ही ग्रामीण-शहरी, अमीर-गरीब सबको खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलेगा। इस कारण राज्य की प्रतिभा खोज नीति पर बल दिया जाना ज़्यादा आवश्यक है, तभी हम ओलंपिक खेल में दुनिया के शीर्ष देशों की सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।

प्रश्नः क्या आई.आई.टी./आई.आई.एम. जैसे प्रमुख संस्थानों को अपनी प्रमुख स्थिति को बनाए रखने के पाठ्यक्रमों को डिज़ाइन करने में अधिक शैक्षिक स्वतंत्रता और साथ ही छात्रों के चयन की विधाओं/कसौटियों के बारे में स्वयं निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिये? बढ़ती चुनौतियों के प्रकाश में चर्चा कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

Should the premier institutes like IITs/IIMs be allowed to retain premier status, allowed more academic independence in designing courses and also decide mode/criteria of selection of students? Discuss in light of the growing challenges.

उत्तरः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) भारत में उच्च शिक्षा का एक सार्वजनिक संस्थान है, जो अपनी शिक्षा व उच्चस्तरीय रिसर्च के लिये विख्यात है। साथ ही भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) प्रबंधन के सर्वोत्तम संस्थान हैं, जो प्रबंधन की शिक्षा के अतिरिक्त अनुसंधान एवं सलाह कार्य भी करते हैं। वर्तमान में 20 (IIM) एवं 23 (IIT) हैं।

अकादमिक स्वायत्तता की कमी के कारण संस्थान पाठ्यक्रम की डिज़ाइन छात्रों के चयन की विधाओं या कसौटियों को तय करने के लिये स्वंतत्र नहीं हैं, अपितु इनका निर्धारण विश्वविद्यालय आयोग (UGC) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) जैसे सरकारी निकाय करते हैं।

उपर्युक्त कारणों से संबंधित निकायों में निम्नलिखित चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं–

IIT व IIM से संबंधित चुनौतियाँ

- प्रशासनिक व वित्तीय स्वायत्तता की कमी।
- पारदर्शी एवं त्वरित निर्णय लेने की व्यवस्था में कमी।
- उच्च शिक्षा संस्थाओं का पाठ्यक्रम पुराना है।
- पाठ्यक्रम का मूल्यांकन व संशोधन नहीं होता।
- भारतीय समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुरूप नहीं।
- जाति आधारित आरक्षण के आधार पर प्रवेश का मुद्दा।
- अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विपरीत (IIT) व (IIM) जैसे संस्थानों को राज्य द्वारा अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है।
- अनुसंधान सामग्री, फैकल्टी के वेतन आदि मुद्दों पर ये संस्थान अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से पिछड़ जाते हैं।

इन संस्थानों की चुनौतियों के निपटारे हेतु निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं–

समाधान

- उच्च शिक्षा संस्थानों को पर्याप्त स्वायत्तता दी जानी चाहिये
- हार्वर्ड, कैंब्रिज, एम.आई.टी. जैसे संस्थानों के समान ही IIT/IIM को भी छूट देनी होगी।
- सरकारी हस्तक्षेप की कमी करनी चाहिये।

स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि इन शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता व स्वायत्तता को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे ये भारतीय संस्थान कैंब्रिज, हार्वर्ड जैसे विश्वस्तरीय संस्थानों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसके लिये हमें नई शिक्षा नीति में अभी और परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

प्रश्नः सरकार की दो समांतर चलाई जा रही योजनाओं तथा 'आधार कार्ड' और 'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर' (NPR), एक स्वैच्छिक और दूसरी अनिवार्य, ने राष्ट्रीय स्तर पर वाद-विवादों और मुकदमों को जन्म दिया है। गुणों-अवगुणों के आधार पर चर्चा कीजिये कि क्या दोनों योजनाओं को साथ-साथ चलाना आवश्यक है या नहीं है। इन योजनाओं की विकासात्मक लाभों और न्यायोचित संवृद्धि को प्राप्त करने की संभाव्यता का विश्लेषण कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

Two parallel run schemes of the Government, viz the Adhaar Card and NPR, one as voluntary and the other as compulsory, have led to debates at national levels and also litigations. On merits, discuss whether or not both schemes need run concurrently. Analyse the potential of the schemes to achieve developmental benefits and equitable growth.

उत्तरः आधार कार्ड भारतीय पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी एक 12 अंकीय पहचान पत्र है। यह देश में निवास करने वाले सभी नागरिकों को बनवाना होता है, किंतु यह अनिवार्य नहीं है, जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) देश के नागरिकों के डाटा एकत्रण से जुड़ा हुआ एक रजिस्टर है, जिसके लिये हाउसहोल्ड को आधार बनाया गया है और यह भारत के सभी नागरिकों के लिये अनिवार्य है।

सरकार की इन दो समांतर योजनाओं से संबंधित विवाद निम्नलिखित हैं–

- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और 'आधार कार्ड' के संदर्भ में आँकड़ों के दोहरीकरण को लेकर विवाद।
- कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि दो अलग-अलग कार्यक्रमों के कारण फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है।

संबंधित दोनों योजनाओं में अंतर के निम्नलिखित बिंदु हैं–

- यदि किसी व्यक्ति की सूचना पहले ही आधार (UID) में जा चुकी है तो संबंधित व्यक्ति को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) में केवल अपनी आधार संख्या दर्ज करनी होती है।
- UID की अपेक्षा NPR में अधिक सूचनाएँ हैं।
- UID में नाम, आयु, लिंग, स्थायी पता जैसी सूचनाएँ हैं, वहीं NPR इनके अलावा शैक्षणिक योग्यता, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता की पहचान में भी सक्षम है।
- NPR के आँकड़े अधिक व्यापक होने के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति का भी अधिक सटीक अनुमान दे सकेंगे।
- यदि जनांकिकीय आँकड़ों का संग्रहण NPR में किया जाए तथा बायोमैट्रिक सूचना का संग्रहण UID के आधार पर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा।

इन योजनाओं की विकासात्मक लाभों और न्यायोचित संवृद्धि को प्राप्त करने की संभाव्यता को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है–

योजनाओं के संभावित लाभ

- सरकारी कार्यक्रमों में योजनाओं का लाभ वास्तविक व्यक्तियों तक पहुँच पाएगा।
- गरीबी कम करने में मदद मिलेगी।
- पहचान संबंधी धोखाधड़ी पर रोक।
- फर्ज़ी लाभार्थी की पहचान।
- प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण जैसी योजना का सटीक प्रभावी क्रियान्वयन संभव।
- निम्न आय वर्गों, वंचित वर्गों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- PDS में लीकेज की समस्या पर अंकुश।
- मनरेगा में होने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश।

अत: उपरोक्त योजनाओं के संदर्भ में यह भी ध्यान रखना होगा कि इन योजनाओं में निजी डाटा के कारण इनके दुरुपयोग की संभावना भी विद्यमान है। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान में निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस प्रकार सरकार को इनके दुरुपयोग के लिये प्रभावी कदम उठाने होंगे, तभी वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति संभव है।

2013

प्रश्न: भ्रष्टाचार को नगण्य करने, अपव्यय को समाप्त करने और सुधारों को सुगम बनाने हेतु कल्याणकारी योजनाओं में इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण प्रणाली एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है। टिप्पणी कीजिये। (200 शब्द, 10 अंक)

Electronic cash transfer system for the welfare schemes is an ambitious project to minimize corruption, eliminate wastage and facilitate reforms. Comment.

उत्तर: बिचौलियों की सहभागिता को खत्म कर पारदर्शिता लाने एवं लाभार्थी के बैंक खातों में लाभ/सब्सिडी, प्रत्यक्ष रूप से अंतरित करने के उद्देश्य से 2013 में भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना प्रारंभ की गई थी। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण का ही हिस्सा है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण के महत्त्व को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है–

इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण का महत्त्व

- वित्तीय समावेशन व अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सक्षम है
- सेवा वितरण की लागत में कमी
- फर्जी लाभार्थियों को हटाकर सार्वजनिक पूंजी का कुशल उपयोग
- उपभोक्ताओं को विकल्प प्रदान करता है
- सेवा वितरण को सुचारु रूप से संयोजित करते हुए भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करता है

हालाँकि इसके समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं, जो निम्नलिखित हैं–

इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण की चुनौतियाँ

- डिजिटल डिवाइस की समस्या
- धन के दुरुपयोग की संभावना
- भारत में दुनिया की सबसे बड़ी बैंक आबादी (विश्व बैंक)
- धन के उपयोग में महिलाओं की बहुत कम भूमिका होती है
- ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या
- वित्तीय साक्षरता एक चुनौती है

इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के कुछ उपाय निम्नलिखित हैं–

इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण को सफल बनाने के उपाय

- ई रूपी जैसे नए तंत्र को बढ़ावा।
- शिकायत निवारण तंत्र को बढ़ावा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा की व्याप्ति को बढ़ाने की आवश्यकता।
- इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य सहायक अवसंरचनात्मक ढाँचा को बढ़ावा देना।
- महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता।
- जागरूकता अभियान की दिशा में काम करना चाहिये।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रोनिक नकद हस्तांतरण योजनाओं के रिसाव तथा भ्रष्टाचार को कम करने एवं बेहतर क्रियान्वयन हेतु योगदान है। वर्तमान में गैस सब्सिडी, मनरेगा जैसी योजनाओं में इसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है और शांताकुमार समिति की सिफारिश पर सरकार PPS में इसका प्रयोग करने पर विचार कर रही है।

प्रश्न: स्वयं-सहायता समूहों की वैधता एवं जवाबदेही और उनके संरक्षक, सूक्ष्म-वित्त पोषक इकाइयों का, इस अवधारणा की सतत् सफलता के लिये योजनाबद्ध आकलन एवं संवीक्षण आवश्यक है। विवेचना कीजिये। (200 शब्द, 10 अंक)

The legitimacy and accountability of Self Help Groups (SHGs) and their patrons, the micro-finance outfits, need systematic assessment and scrutiny for the sustained success of the concept. Discuss.

उत्तर: किसी भी सामाजिक व आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु कुछ समान आय वर्ग के लोगों का समूह SHG (स्वयं सहायता समूह) कहलाता है। ये छोटे-छोटे समूह आपस में एक-दूसरे की वित्तीय सहायता/सुरक्षा हेतु गठित किये जाते हैं। इन समूहों को आवश्यकता पड़ने पर सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा ऋण की सुविधा एवं सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है।

हालाँकि सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा SHG को दिये गए ऋण की निम्नलिखित समस्याएँ हैं-

- सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा इन पर ऊँची ब्याज दर वसूल की जाती है।
- ऋण की वसूली में अनुचित प्रयोग (डराना, बेइज़्ज़त करना, धमकाना)।

किंतु SHG के संगठनों में भी अपनी कुछ समस्याएँ हैं, जिन्हें नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता, जैसे-

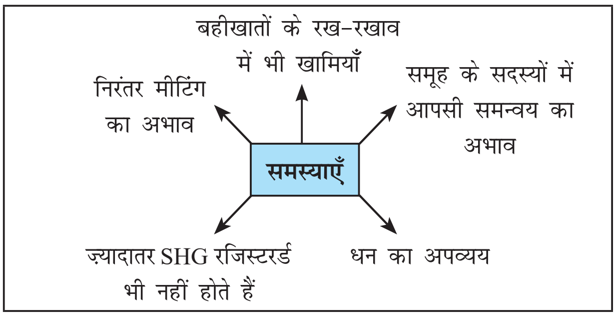

उपरोक्त सीमाओं के बावजूद भी SHG के योगदानों/लाभों को कमतर नहीं आँका जा सकता है। SHG से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं-

SHG के लाभ

- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा
- प्रशिक्षण की सुविधा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा
- लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा
- आपातकालीन आवश्यकताओं हेतु ऋण
- आर्थिक कार्य चुनने की स्वतंत्रता

अत: यह कहा जा सकता है कि SHG एवं सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का योजनाबद्ध आकलन एवं संवीक्षण नितांत आवश्यक है। इसके साथ ही इन संस्थाओं द्वारा भी कुछ सुधारों को लागू किया जाना चाहिये एवं सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से संबंधित मालेगाम समिति की ऋण एवं ब्याज से संबंधित सिफारिशों का बेहतर क्रियान्वयन भी अपेक्षित है।

प्रश्न: केंद्र सरकार प्राय: राज्य सरकारों के समाज के अति संवेदनशील वर्गों के कष्ट निवारण में खराब प्रदर्शन की शिकायत करती है। जनसंख्या को अति संवेदनशील वर्गों के सुधार हेतु सभी क्षेत्रों में केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं की पुनर्रचना का उद्देश्य राज्यों वर्गों उनके बेहतर कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करना है। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

(200 शब्द , 10 अंक)

The Central Government frequently complains on the poor performance of the State Governments in eradicating suffering of the vulnerable sections of the society. Restructuring of Centrally sponsored schemes across the sectors for ameliorating the cause of vulnerable sections of population aims at providing flexibility to the States in better implementation. Critically evaluate.

उत्तर: बच्चे, महिलाएँ SC, ST, विकलांग व HIV पीड़ित जैसे वर्ग, जो भेदभाव का सामना करते हैं, अति संवेदनशील वर्ग कहलाते हैं। आज़ादी के बादा अनेक योजनाएँ चलाई गई हैं, किंतु आज भी इनकी बड़ी आबादी अपनी मौलिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु संघर्षरत् है।

भारत सरकार ने इन वर्गों हेतु निम्नलिखित योजनाएँ चलाई हैं।

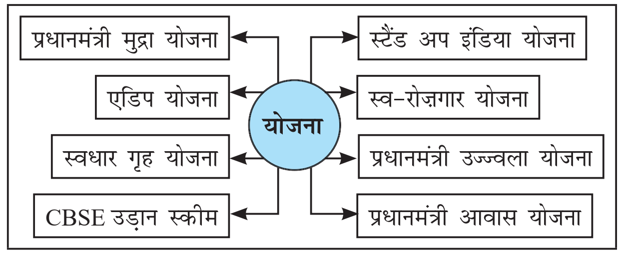

वास्तव में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, इसलिये केंद्र द्वारा शिकायत की जाती रही है कि राज्य सरकारें संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं कर रही हैं।

कल्याणकारी योजनाओं की असफलता के लिये इसके अतिरिक्त अन्य कारण भी उत्तरदायी होते हैं-

अन्य कारण

- योजना निर्माण में राज्यों की कोई विशेष भूमिका नहीं।
- केंद्र व राज्य में अलग-अलग दलों की सरकार होने से भी मतैक्य का अभाव।
- केंद्र व राज्य के बीच समन्वय का अभाव।
- अलग-अलग राज्यों की परिस्थितियों को अनदेखा करते हुए पूरे देश के लिये एक जैसी योजना।
- केंद्र प्रायोजित योजना पर धन की शर्तें अधिरोपित।

हालाँकि केंद्र सरकार द्वारा संवेदनशील वर्गों के सुधार हेतु चलाई जा रही योजनाओं की पुनर्रचना पर ध्यान दिया गया है, जैसे-

योजनाओं की पुनर्रचना

- राज्य योजनाओं को अपने क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार लागू कर पाएंगे।
- राज्यों को योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी।
- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दी गई है।

अत: योजनाओं की पुनर्रचना राज्यों के कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करेगी, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने का खतरा है और संवेदनशील वर्गों की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हालाँकि, योजनाओं में नकद हस्तांतरण प्रणाली का प्रयोग करके पंचायतों को अधिक-से-अधिक अधिभार प्रदान करके इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

प्रश्न: मध्याह्न भोजन योजना की संकल्पना भारत में लगभग एक शताब्दी पुरानी है, जिसका आरंभ स्वतंत्रता-पूर्व भारत के मद्रास महाप्रांत (प्रेसीडेंसी) में किया गया था। पिछले दो दशकों से अधिकांश राज्यों में इस योजना को पुनः प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके दोहरे उद्देश्यों, नवीनतम आदेशों और सफलता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (200 शब्द, 10 अंक)

The concept of Mid Day Meal (MDM) scheme is almost a century old in India with early beginnings in Madras Presidency in pre-independent India. The scheme has again been given impetus in most states in the last two decades. Critically examine its twin objectives, latest mandates and success.

उत्तर: मध्याह्न भोजन की संकल्पना की शुरुआत 1925 ई. में मद्रास प्रेसीडेंसी द्वारा वंचित बच्चों के लिये की गई थी, किंतु भारत में इसकी विधिवत् शुरुआत 15 अगस्त, 1995 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई। इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल व मदरसों के पहली से आठवीं कक्षा के सभी छात्र-छात्राओं को दोपहर का भोजन दिया जाता है। हालाँकि, इस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण शक्ति कर दिया गया है।

इस योजना को प्रारंभ करने के निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं–

महत्त्वपूर्ण कारक

- अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना एवं जाति व वर्ग संबंधी भेदभाव खत्म करना।
- लिंगभेद रहित समान पोषण को प्रोत्साहित करना।
- गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने व कक्षा के कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना।
- स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाना तथा माध्यमिक स्तर तक विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना।

इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सरकार की घोषणाएँ

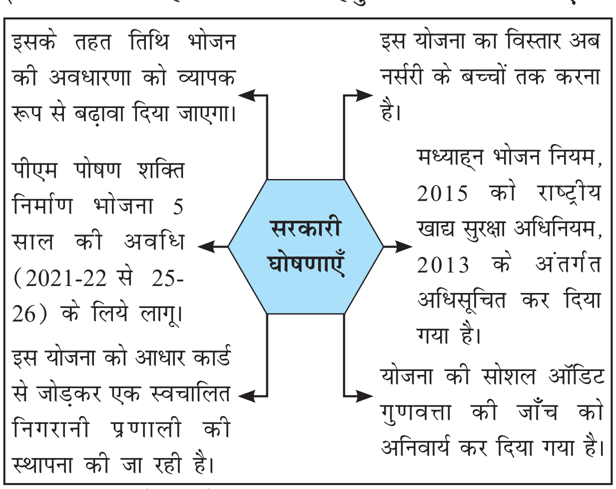

मध्याह्न भोजन योजना की सफलता का मूल्यांकन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है–

मध्याह्न भोजन योजना	
सफलता	**सीमाएँ**
❑ स्कूलों में बच्चों की संख्या में वृद्धि।	❑ भ्रष्टाचार।
❑ सामाजिक एकता व भाईचारे की भावना पर बल।	❑ भोजन की निम्न गुणवत्ता।
	❑ खाद्य विषाक्ततता।
	❑ शिक्षकों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी।

स्पष्टः कहा जा सकता है कि मध्याह्न भोजन योजना न केवल शिक्षा में नामांकन बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है, बल्कि बाल कुपोषण को दूर करने में सहायक है।

प्रश्न: उन सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को पहचानिये, जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं। इन्हें पूरा करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की सफलता की विवेचना कीजिये। (200 शब्द, 10 अंक)

Identify the Millennium Development Goals (MDGs) that are related to health. Discuss the success of the actions taken by the Government for achieving the same.

उत्तर: संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2000 के सहस्राब्दि शिखर सम्मेलन में **2015** तक के लिये **8** वैश्विक विकास लक्ष्य निर्धारित किये गए थे। वैसे तो ये सभी लक्ष्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मानव स्वास्थ्य से संबंधित हैं, किंतु 3 लक्ष्य चौथा, पाँचवा तथा छठा प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य से जुड़े हैं।

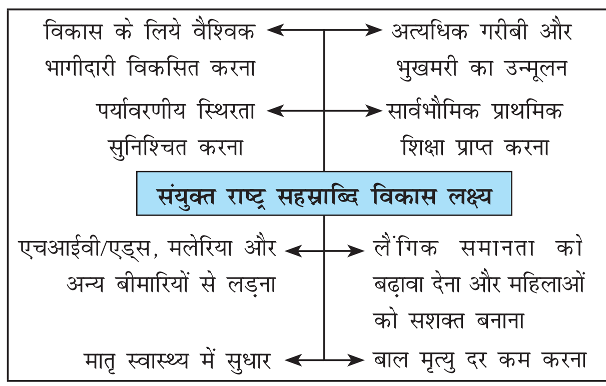

उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु केंद्र व राज्य सरकारों ने चौथे व पाँचवें लक्ष्य के अंतर्गत **बाल मृत्युदर** एवं **मातृ मृत्यु दर** में सुधार लाने हेतु अनेक योजनाएँ चलाईं, जैसे–

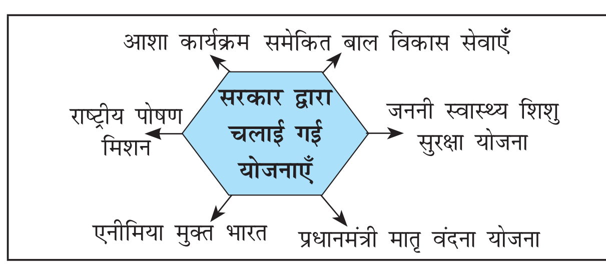

अंततः भारत को भले ही सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में शत-प्रतिशत सफलता नहीं मिल पाई हो, फिर भी इन्हें असफल नहीं कहा जा सकता। अब भारत विश्व के साथ सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है, जिसे 2030 तक प्राप्त करना है और इसमें स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्य भी शामिल हैं।